भारतीय संविधान के भाग

	भाग	अनुच्छेद
1.	संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र	1 से 4
2.	नागरिकता	5 से 11
3.	मौलिक अधिकार	12 से 35
4.	नीति निर्देशक तत्त्व	36 से 51
4 क.	मुल कर्त्तव्य	51 (क)
5.	संघ	52 से 151
6.	राज्य	152 से 237
7.	पहली अनुसुची के भाग ख के राज्य	238 (निरसित)
8.	संघ राजय क्षेत्र	239 से 242
9 क.	पंचायत	243, 243 क से ग तक
9 ख.	सहकारी समितियाँ	243 त से 243 ह
10.	अनुसुचित और जनजातीय क्षेत्र	244, 244 क
11.	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 से 263
12.	वित्त संपत्ति संविदायें और वाद	264 से 300 क
13.	भारत के राज्य क्षेत्र के भितर व्यापार वाणिज्य एवं समागम	301 से 307
14.	संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएँ	308 से 323
14 क.	अधिकरण	323 क, 323 ख
15.	निर्वाचन	324 से 329
16.	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष अपवंध	350 से 342
17.	राजभाषा	343 से 351
18.	आपात अपवंध	352 से 360
19.	प्रकीर्ण	361 से 367
20.	संविधान संशोधन	368
21.	अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369 से 392
22.	समता या समानता का अधिकार	अनुच्छेद 14 से 18
23.	संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 – 395

BY KHAN SIR
(मानचित्र विशेषज्ञ)

Join - KHAN SIR OFFICIAL

Scanned with CamScanner

मौलिक कर्त्तव्य

(1)	समता या समानता का अधिकार	अनुच्छेद 14 से 18
(2)	स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद 19 से 22
(3)	शोषण के विरूद्ध अधिकार	अनुच्छेद 23 से 24
(4)	धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद 25 से 28
(5)	संस्कृति और शिक्षा संबंधिअधिकार	अनुच्छेद 29 से 30
(6)	संवैधानिक उपचारों का अधिकार	अनुच्छेद 32

संविधान (Constitution)

सभी के लिए बराबर कानुन को संविधान कहते हैं भारतीय संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद है।

भाग-1 संघ और राज्य क्षेत्र (1–4)

अनुच्छेद 1 — भारत राज्यों का संघ (Union) है अर्थात् इसके राज्य कभी-भी टुटकर अलगन नहीं हो सकते हैं।

Note – जो देश federation होते हैं। उसके राज्य टुट सकते हैं जैसे-सोवियत संघ U.S.A.

अनुच्छेद 2 — संसद राष्ट्रपति को पूर्व सुचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं।

Ex– 16 may 1975 के सिक्किम का भारत में विलय

अनुच्दे 3 — संसद राष्ट्रपति को पूर्व सुचना देकर वर्त्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सिमा को बदल सकते हैं।

जैसे-बिहार से झारखंड

उड़िसा से ओडिशा

अनुच्छेद 4 — अनु॰ 2 और 3 में किया गया संशोधन अनु॰ 368 के बाहर रखा गया है। अर्थात् इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं।

भारतीय राज्यों का इतिहास

आजादी के समय भारत 552 से अधिक देशी रियासत (राज्य) में टुटा हुआ था। अंग्रेजों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि ये राज्य भारत में मिल सकते हैं। या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल तथा K.K. मेनन ने किया उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया-किन्तु तीन राज्य विलय के लिए तैयार नहीं थे।

(i) **जम्मुकाश्मीर**-यह स्वतंत्र देश बनना चाहता है यहाँ के राज्य हरि सिंह थे और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुला था इसी बीच पाकिस्तान के इशारा पर काश्मीर में घुसपैठ होने लगी जिसके बाद 26 oct 1947 को काश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया।

(ii) **जूनागढ़**-यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किन्तु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर (Referendom) उसे भारत में मिला दिया।

(iii) **हैदराबाद**-हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। किन्तु सरदार पटेल ने पुलिस कि वर्दी में सेना भेजा जिसे आपरेशन पोलो कहा गया इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया।

इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों में A, B, C, D में बाँटा गया।

भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1949 में S.K. घर आयोग का गठन किया गया किन्तु इसने भाषाई के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया।

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)

Scanned with CamScanner

तेलगू भाषा के लिए अलग राज्य के माँग करते हुए पेट्टू श्री रामल भुख हरताल पर बैठ गया। और 56 दिन के भुख हरताल के बाद इसकी मृत्यू हो गई फल स्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फल स्वरूप नेहरू जी ने 10 oct 1953 में तेलगू भाषा के लिए अलग राज्य आँध्रप्रदेश को अलग कर दिया अन्तत: यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना।

भाषायी आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषायी आधार पर राज्यों को कानुनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फल स्वरूप 7वाँ संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ इसके बाद A, B, C, D को रद्द करके भाषायी आधार पर 14 राज्य तथा 6 केन्द्रशासित प्रदेश बनाए गए।

Note — पंजाब राज्य का पुर्नगठन साह आयोग के सिफारिश पर हुआ।

नागरिकता

➪ कोई भी देश अपने मुल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है। अर्थात् हम केवल देश के नागरिक है। राज्यों को नागरिक नहीं बल्की निवासी है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है।

भारत कि नागरिक 1950 के अधिनियम पर आधारित है नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था।

➪ नागरिक होने के कारण PAN Card, Adhar Card दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

➪ **नागरिक कि चर्चा भाग-2 में अनुच्छेद (5–11) तक है।**

अनुच्छेद 5 — संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात् जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई। जो उस समय भारत के अंदर थे।

अनुच्छेद 6 — पाकिस्तान से भारत में आये लोगों का नागरिकता किन्तु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी।

अनुच्छेद 7 — स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी।

अनुच्छेद 8 — विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी।

अनुच्छेद 9 — विदेशी नागरिकता लेने पर भारत कि नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 10 — भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते।

अनुच्छेद 11 — नागरिकता संबंधी कानुन संसद बनाती है यह जिम्मेदारी गृहमंत्रालय को दी गई है।

नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ

भारत में नागरिकता प्राप्त करने की पाँच विधियाँ है।

(i) जन्म के आधार पर-भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, यदि उनके माता-पिता भारत के नागरिक हो तो Ex- हम सभी।

(ii) विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जायेगी। यदि उसके माता-पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो Ex- शिखर धवन

(iii) किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर-वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दि जायेगी। सिक्कीम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई। नागरिकता बंगला देश के परगना जिले को नागरिकता।

(iv) पंजीकरण-इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है।

(v) देशीकरण-वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है। वैज्ञानिक या कला में निपूण हो साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो।

CS Scanned with CamScanner

✶ Overseas नागरिकता-इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना VISA के भारत आ सकता है।

Note — देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दुसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कि जा सकती है।

✶ **VISA—** किसी दुसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही VISA कहते हैं। बिना VISA किसी दुसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते।

✶ **PASSPORT—** अपने देश को छोड़कर दुसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमती लेनी पड़ती है। जिसे Passport कहते हैं।

भाग-3 मुल अधिकार (अनु॰ 12–35)

मुल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मुल अधिकार को जैग्नाकारा कहते हैं। इसे U.S.A के संविधान से लिया गया है।

अनुच्छेद 15 — मुल अधिकार की परिभाषा

अनुच्छेद 13 — यदि हमारे मुल अधिकार को किसी दुसरे मुल अधिकार प्रभावित करे, तो हमारे मुल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। (अल्पीकरण)

✶ **समता/समानता का अधिकार [अनु॰ 14–18]**

अनुच्छेद 14 — विधी के समक्ष समानता अर्थात् कानुन के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। जब कि कानुन के समान संरक्षण कि व्यवस्था अमेरिका से ली गई है।

अनुच्छेद 15 — जाति धर्म लिंग जन्मस्थान के आधार पर सर्वजनिक स्थान (सरकारी स्थान) पर भेद-भाव नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 16 — लोक निर्वाचन [सरकारी नौकरी की समानता] इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है।

अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता [छुआ छुत का अन्त]

अनुच्छेद 18 — उपाधियों के अंत (किन्तु शिक्षा सुरक्षा तथा भारत रत्न पदम विभुषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है।

स्वतंत्रता का अधिकार [अनु॰ 19 – 22]

अनुच्छेद 19 – (i) अभिव्यक्ति कि स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता झण्डा लहराने, पुतला जलाने RII तथा प्रेस कि स्वतंत्रता

(ii) बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता

(iii) संगठन बनाने कि स्वतंत्रता

(iv) बिना रोक टोक चारों ओर घुमने कि स्वतंत्रता

(v) भारत में किसी क्षेत्र में बसने कि स्वतंत्रता

(vi) सम्पत्ती का अधिकार अब यह मुल अधिकार नहीं रहा। बल्की कानुनी अधिकार हो गया।

✶ सम्पत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 (क) के तहत कानुनी अधिकार में रखा गया।

(vii) व्यवसाय करने कि स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 20 — इसमें तीन प्रकार कि स्वतंत्रता दी गई है।

(i) एक गलती कि एक सजा

(ii) सजा उस समय के कानुन के आधार पर दि जायेगी न कि पहले या बाद के कानुन के आधार पर

(iii) सजा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाता है।

Note – अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोशी करार नहीं कर देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता।

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद 21 — इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसी के कारण अधिक धुआ देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चलान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोड़ दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता।

Note – अनुच्छेद 20 तथा 21 को अपातकाल के दौड़ान नहीं रोका जा सकता अत: इसे सबसे शक्तिशाली मुल अधिकार कहते हैं।

अनुच्छेद 21 (क) इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वाँ संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया।

अनुच्छेद 22 — इसमें तीन प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण (रक्षा) करती है।

(i) व्यक्ति को रिगफ्तार करने से पहले वारंट (कारण) बताना होता है।

(ii) 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सह-शरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है।

(iii) गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकिल रखने का अधिकार है।

✶ **निवारक विरोध अधिनियम (Privensive Detertion)**

⇨ इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के IV में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानुन के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये अधिकतम तीन महिने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है।

✶ **नजरबंद** - किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता हैं। तो उसे नजरबंद कहते हैं। नजरबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है।

✶ भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम

(i) **निवारक विरोध अधिनियम 1950 —** यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम या 31 Dec 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया।

(ii) **MISA (mentinance of Internal security Act) —** इसे 1971 में लाया गया किन्तु इसका सर्वाधिक दुरउपयोग हुआ जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया।

(iii) **राष्ट्रीय सुरक्षा कानुन (रासुका)** - इसे 1980 में लाया गया यह अभी तक लागू है। यह वर्त्तमान में सबसे खरनाक अधिनियम है इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है।

(iv) **TADA (Terioist and Distructive Activity) —** इसे 1985 में लाया गया आतंकवादी के विरूद्ध इसे लाया जाता था। दुरउपयोग होने के कारण 23 may 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया।

(v) **POTA (Privention of Terririst Act) —** यह भी आतंक वादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया।

✶ **शोषण के विरूद्ध अधिकार [अनु॰ 23–24]**

अनुच्छेद 23 — बालात श्रम (जबरदस्ती श्रम) तथा बेरोजगारी (बिना वेतन) पर रोक लगाया गया। किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात श्रम या बेगारी कराया जा सकता है।

अनुच्छेद 24 — 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता।

✶ **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार [अनु॰ 25–28]**

अनुच्छेद 25 — अंत: करण की चर्चा अर्थात् व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता कि चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण (तलवार) मुस्लिमों को दादी, हिन्दुओं को टिकी रखने का स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 26 — इसमें सामुहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने कि अनुमती है।

अनुच्छेद 27 — धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता।

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद 34 — भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानुन (Marshal law) लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को Court Marshal कहते है। सबसे कठोर Marshal law AFSPA है। [Axnel Forces Special Power Act]

अनुच्छेद 35 — भाग-3 में दिए गए मुल अधिकार के लागू होने के विधी की चर्चा।

✱ मूल अधिकार को 7 श्रेणियां में बाँटा गया था। किन्तु वर्त्तमान में 6 श्रेणीया है।

	श्रेणी	**अनुच्छेद**
1.	समानता का अधिकार	[14 – 18]
2.	स्वतंत्रता का अधिकार	[19 – 22]
3.	शोषण के विरूद्ध अधिकार	[27 – 24]
4.	धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	[25 – 28]
5.	शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार	[29 – 30]
6.	सम्पत्ति का अधिकार	31 ×
7.	संवैधानिक उपचार का अधिकार	32

Note — अनुच्छेद 14, [20, 21, 21A], [23, 24], [25 – 28] - भारतीय तथा विदेशीयों दोनों के लिए।

✱ अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है।

✱ हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मुल अधिकार नहीं है क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है।

✱ स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है।

✱ वोट डालने का अकिधार राजनीतिक अधिकार है मूल अधिकार नहीं।

✱ मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं।

✱ मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार का रक्षक $\frac{SC}{32}$ तथा $\frac{HC}{226}$ को कहते हैं।

[भाग-4] नीति निर्देशक तत्त्व

इसे भाग-4 में अनुच्छेद 36 – 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैण्ड के संविधान से लाया गया है। तथा आयरलैण्ड ने स्पेन के संविधान से लाया या ये ऐसे तत्त्व हैं जो देश के लिए आवश्यक है। किन्तु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे। जो उन्हें उपलब्ध करा सके-अत: यह सरकार कि इच्छा पर निर्भर है। जिस कारण के टी साह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्त्व इस चेक के समान है। जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छानुसार करता है। नीति निर्देशक तत्त्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र कि स्थापना करना है।

अनुच्छेद 36 — परिभाषा

अनुच्छेद 37 — इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अर्थात् यह न्यायालय द्वारा प्रर्वतनिय नहीं है। या वाद योग्य नहीं है।

अनुच्छेद 38 — लोक कल्याण कि अभिवृत्ति अर्थात् सरकार जनता का कल्याण करेगी। जैसे-राशन कार्ड (सामाजिक राजनीतिक न्याय)

अनुच्छेद 39 — समान काम के लिए स्त्री पुरूष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण।

अनुच्छेद 39 (क) निशुल्क विधि (कानुनी) सहायता [42वां संशोधन 1976]

अनुच्छेद 40 — ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद 41 — कुछ दशाओं में सरकारी सहायता [काम, शिक्षा प्राप्त करना जैसे-वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साईकिल]

अनुच्छेद 42 — न्यायसंगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसुती सहायता उपलब्ध करना जैसे-गर्भावती महिला द्वारा कठोर शारिरीक

BY KHAN SIR (भूगोल विशेषज्ञ)

CS Scanned with CamScanner

श्रम न करना

अनुच्छेद 43 — निर्वाह योग मजदूरी अर्थात् इतना वेतन दिया जाये की परिवार चला सके। [कुटीर उद्योग]

TRICK – दमन

41 42 43

अनुच्छेद 43 (क) उद्योग प्रबंधन में कामगारों कि भागीदारी।

अनुच्छेद 44 — समान सिविल संहिता अर्थात् सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक कि शर्ते समान रहेगी भले ही विवाह कि रितिया अलग हो।

Note — अपराध के कानुन को दंड संहिता तथा चुनाव के कानुन को आचार संहिता कहते हैं।

अनुच्छेद 45 — 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार कि जिम्मेदारी है। तथा 6 – 14 वर्ष के आयु के बच्चों का नि:शुल्क शिक्षा देना सरकारी कि जिम्मेदारी है।

Note – शिक्षा के अधिकार को अमुल अधिकार बनाकर 21 क में जोड़ दिया है। [86वां संशोधन 2002]

अनुच्छेद 46 — SC/ST/OBC के लिए विशेष आरक्षण

अनुच्छेद 47 — सरकार पोशायुक्त आहार उपलब्ध कराऐगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी।

अनुच्छेद 48 क — पर्यावरण वन तथा वन्य जीव कि रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य होगा। [42वां संशोधन 1976]

अनुच्छेद 49 — राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य होगा।

अनुच्छेद 50 — कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना।

अनुच्छेद 51 — अन्तराष्ट्रीय शान्ति को बढ़ावा देना। अन्तराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्था द्वारा सुलझा देना इसी अनुच्छेद के तहत भारत UNO का सदस्य बना।

नीति, निर्देशक तत्त्वों का वर्गीकरण

✶ नीति निर्देशक तत्त्व के तीन भग में बाँटते हैं।

(i) **गाँधीवादी** - अनु॰ 40, 43 क, 46, 47

(ii) **समाजवादी** - 38, 39, 39 (क) 41, 42, 43

(iii) **वैद्विक या उदारवादी** - 44, 45, 48, 48 क, 49, 50, 51

Note – मिनरमा मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति-निर्देशक तत्त्व या मुल अधिकार दोनों पर ध्यान दे। अर्थात् संतुलन बनाये रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्त्व एक लक्ष्य है। और इस लक्ष्य पर पहुँचने का साधन मूल अधिकार है।

✶ **मुल अधिकार तथा निति निर्देशक तत्त्व में अंतर-**

	मुल अधिकार	निति निर्देशक तत्त्व
(i)	इसे USA से लिया गया है।	इसे आयर लैण्ड से लिया गया है।
(ii)	इसे भाग-3 में रखा गया है।	इसे भाग-4 में रखा गया है।
(iii)	यह नैसर्गिक अधिकार होता है। तथा जन्म से हि मिल जाता है।	यह नैसर्गिक नहीं होता है तथा सरकार के लागू करने के वाद मिलता है।
(iv)	यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद् योग्य है।	यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद योग नहीं है।
(v)	यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है अर्थात् ऋणात्मक है।	यह सरकार कि अधिकार को बढ़ा देता है। अर्थात् धनात्मक है।
(vi)	इसके पिछे कानुनी मान्यता है।	इसके पिछे राजनीतिक मान्यता है।
(vii)	यह निलंबित हो सकता है।	यह निलंबित नहीं हो सकता है।
(viii)	यह व्यक्ति के भलाई के लिए है।	यह समाज में भलाई के लिए है।

Scanned with CamScanner

[मूल कर्त्तव्य]

➪ इसे 42वाँ संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे न मानने पर कोई दण्ड का प्रावधान नहीं है। इसे भाग 4 (क) में अनुच्छेद 51 (क) के तहत जोड़ा गया मूल संविधान में मूल कर्त्तव्य नहीं थे 42वाँ (1976) द्वारा 10 कर्त्तव्य तथा 86वाँ संशोधन द्वारा 1 और मौलिक कर्त्तव्य जोड़ा गया वर्त्तमान में मौलिक कर्त्तव्य की संख्या 11 है।

(1) संविधन का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था (संसद SC, HC) राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय प्रतिक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।

(2) राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। (नारा)

(3) देश की सम्प्रभुता (दबाव रहित शासन) एकता तथा अखंडता को बनाये रखना।

(4) देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र कि सेवा करना।

(5) देश के लोगों में सम्रता (मेल-मिलाप) तथा भाई चारा बनाये रखना।

(6) देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना।

(7) वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना।

(8) पर्यावरण, वन्य तथा वन्यजीव की रक्षा करना।

(9) सार्वजनिक (सरकारी) सम्पत्ति की रक्षा करना।

(10) व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना।

(11) 6 - 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक (guardiaon) का यह कर्त्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये [86वां संशोधन 2002]

मूल अधिकार 21 (क) - 6 - 14 वर्षों को बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार

86वां संशोधन 2002 -

मूल कर्त्तव्य 51 (क) 6 - 14 वर्षों के बच्चों के अभिभावकों उनकी प्राथमिक शिक्षा देना का कर्त्तव्य

86वां संशोधन 2002 —

→ मूल अधिकार 21(क)–6–14 वर्षो को बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार

→ मूल अधिकार 51(क)–6–14 वर्षो के बच्चों के अभिभावकों उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य

Note – शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारी मूल कर्त्तव्य नहीं है।

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन

⇨ यह मानवाधिकार कि रक्षा करता है। इसकी मुख्यालय दिल्ली है। इसकी स्थापना 1993 में हुई। इसकी अध्यक्षता सुप्रिम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायधीश होता है। तथा इसमें 7 सदस्य होते हैं।

✱ **कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका**

⇨ विधि/विधेयक (Bill) बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है और उसे लागू करने कि शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। तथा यदी उसे लागू करने में कोई न्यायिक चुनौती आती है। तो उसके न्याय में व्यवस्था करने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है।

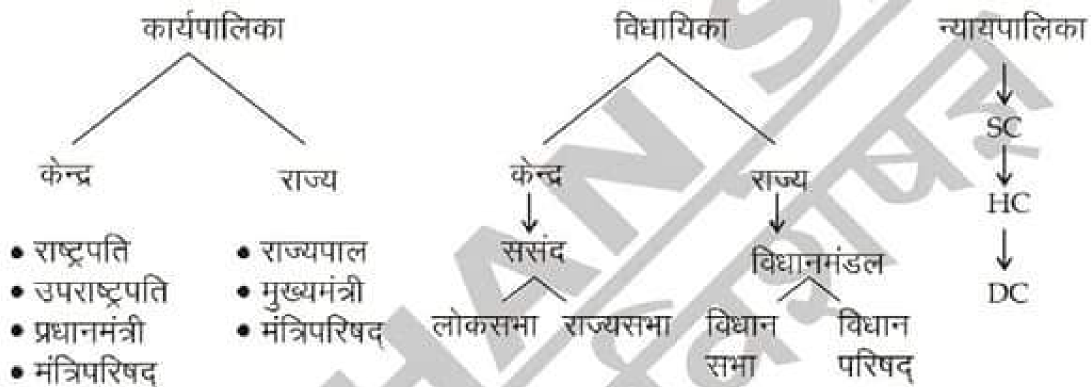

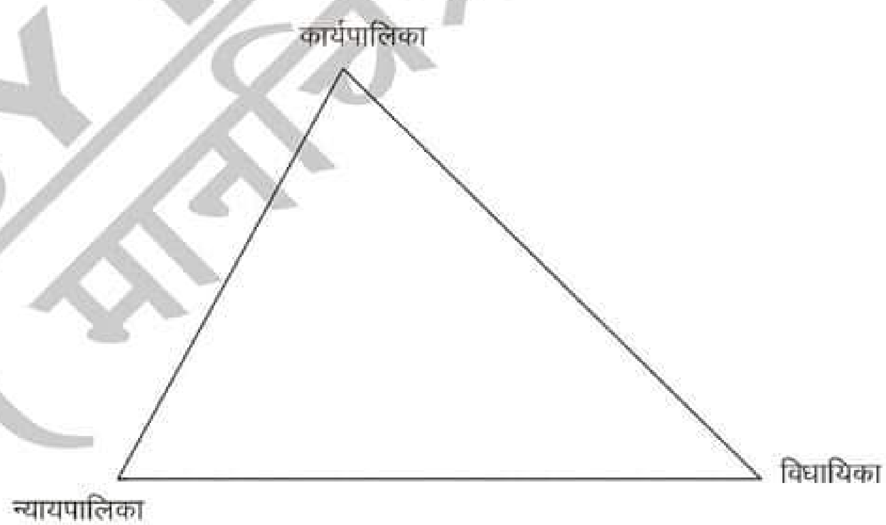

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)
Scanned with CamScanner

अनुच्छेद 28 — सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

Remark — संस्कृत एक भाषा है। न कि हिन्दू धर्म कि धार्मिक शिक्षा इसी इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है। न कि इस्लाम ध र्म कि शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है।

✱ **संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार [अनु॰ 29 – 30] अल्पसंख्यक**

अनुच्छेद 29 — [अल्प संख्यकों के हितों का संरक्षण]—

इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है। और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते।

अनुच्छेद 30 — [अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण]

अल्पसंख्यक यदी बहुसंख्यकों के बिच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है। तो अल्पसंख्यक अपने पसंद कि संस्था खोल सकते हैं। सरकार उसे भी धन देगी।

अनुच्छेद 31 — इसमें पैतृक सम्पत्ति कि चर्चा की गई है। जो मुल अधिकार था किन्तु 44वाँ संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानुनी अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद 300 (क) में जोड़ दिया गया।

Remark — अनुच्देद 19(VI) में अर्जित सम्पत्ति की चर्चा है। जबकि 31 में पैतृक सम्पत्ति कि चर्चा है।

(ii) मुल अधिकार को हम से सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता जबकि कानुनी अधीकार को जनता नहीं छिन सकती किन्तु सरकार छिन सकती है। इसके लिए सरकार ने भुमि अधिग्रहण विधेयक लाया।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार [अनु॰ 32]

✱ **अनुच्छेद 32 —** संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मुल अधिकार कहा जाता है। क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सिधे सुप्रिम कोर्ट जा सकता है। सुप्रिम कोर्ट पाँच प्रकार के रिट/याचिका या समादेश जारी करती है।

बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार

बन्दी प्रत्यक्षीकरण प्रतिशोध परमादेश उत्प्रेशन अधिकार प्रिच्छा

✱ **बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हवियस कर्पस)** - यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बन्दी बनाने वाली अधिकारी को यह आदेश देती है। कि उसे 24 घंटे के भितर सह शरिर न्यायालय में प्रस्तुत करें।

✱ **परमादेश (मेन्डेमस) —** इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सहकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है। तो उसपे यह जारी किया जाता है।

✱ **अधिकार पृच्छा (कोवैरेन्टो) —** जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है। तो उसे रोकने के लिए अधिकार पृच्छा आता है।

⇨ अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय अपात) के दौरान केवल 20 और 21 ही ऐसा अनुच्छेद है। जिसे वंचित नहीं किया जा सकता।

✱ **प्रतिषेध (Prohibition) —** यह उपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है। जब नीचली न्यायालय अपने अधिकारों का उलंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है।

✱ **उत्प्रेषण (Certiorari) —** यह भी उपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है। जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उलंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है।

Note — अम्बेदकर ने अनु॰ 32 को संविधान कि आत्मा कहा था।

Note — किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं। -**प्रस्तावना**

Note — ये पाँच प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है।

अनुच्छेद 33 — राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना मिडिया तथा गुप्तचर के मुल अधिकार को सीमित कर सकती है।

Scanned with CamScanner

भाग-5

संघ अनुच्छेद 52 – 151

राष्ट्रपति-

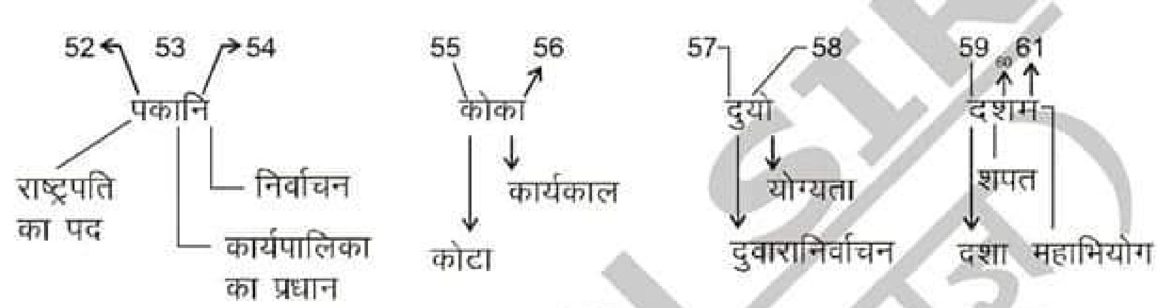

अनुच्छेद-52 — राष्ट्रपति का पद - राष्ट्रपति देश का औपचारिक (नाम मात्र के लिए) प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है।

अनुच्छेद-53 — कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। अर्थात् सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जायेंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान PM होता है।

अनुच्छेद-54 — राष्ट्रपति का निर्वाचन - इसका निर्वाचन एकल संक्रमणिय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है।

✱ **अनुपातिक पद्धति** - इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वारीयता क्रम में वोट देना होता है।

✱ **एकल संक्रमणीय** - इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार के vote को लेकर अधिक vote पाए उम्मीदवार के vote में जोड़ दिया जाता है।

✱ **प्रथम चरण की मतगणना** - इसमें उम्मीदवार की पहली वारियता सूची गिनी जाती है।

✱ **द्वितीय चरण** - इसमें द्वितीय वरियता सूची गिनी जाती है। यह प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है।

⇨ वी. वी. गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी।

✱ **अप्रत्यक्ष मतदान** - राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधी भाग लेते हैं।

✱ **राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल** - राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल में लोक सभा, राज्यसभा तथा सभी राज्य (29 + 2) [दिल्ली + पाण्डिचेरी] के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।

⇨ विधान परिषद् राज्य सभा के 12 मनोनित सदस्य तथा लोकसभा के 2 Anglo Indian राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।

⇨ मुख्यमंत्री जब विधान परिषद् का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा।

⇨ 69वाँ संशोधन 1990 द्वारा Delhi तथा पाण्डीचेरी में विधान सभा का गठन किया गया।

⇨ 70वाँ संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में दिल्ली तथा पाण्डीचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल किया गया।

Scanned with CamScanner

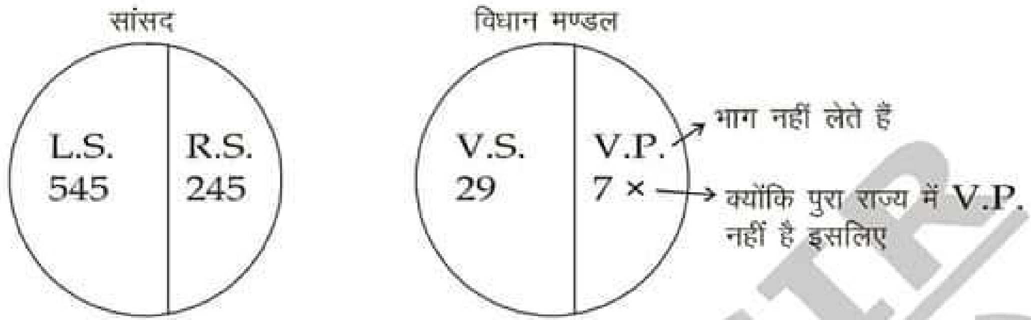

✱ 1 MLA के vote को value –

$$1\ MLA = \frac{\text{राज्य का जनसंख्या}}{\text{राज्य का MLA} \times 1000}$$

✱ 1 MLA के vote को value –

$$1\ MLA = \frac{\text{कुल MLA का वोट}}{\text{कुल सांसद की संख्या}}$$

Note – भारत में 29 राज्य के वोट को मिलाने पर M.L.A का कुल वोट 5,49,495 वोट आता है। जब कि M.P. का कुल वोट 5,49,498 के लगभग आता है।

इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 11,000,00 वोट लगभग पड़ते हैं।

⇨ **राष्ट्रपति की जमानत राशि-**

चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया जमानत के रूप में R.B.I के पास रखनी होती है।

यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत राशि जप्त हो जाएगी।

इसे जमानत जप्त होना कहते हैं। यह अपमान कि स्थिति है।

✱ **अनुच्छेद-55 –** इसमें राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं। जमानत जप्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है किन्तु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है।

$$\text{कुल} = \frac{\text{कुल वोट}}{\text{कुल प्रत्याशी} + 1} + 1$$

Total vote = 60

$$\text{जमानत} = \frac{60}{6} = 10$$

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M

$$\text{कोटा} = \frac{60}{13+1} + 1 = \frac{60}{14} + 1 = \frac{74}{14} = 6 \text{ लगभग}$$

अनुच्छेद 56 – इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाती है। तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है। न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए-

Note – अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है।

✱ **अनुच्छेद 57 –** एक ही राष्ट्रपति दुवारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक डा. राजेन्द्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं।

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)

CS Scanned with CamScanner

✶ **अनुच्छेद 58 —** योग्यता

(1) वह भारत का नागरिक हो

(2) 35 वर्ष आयु

(3) लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता

(4) 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो।

✶ **अनुच्छेद 59 दशाऐ/शर्तें-**

(1) पागल या दिवालिया न हो

(2) लाभ के पद पर न हो

(3) संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य न हो।

⇨ यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है।

Note — सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है सांसद मंत्री विधायक लाभ के पद नहीं है ये जनता के सेवक हैं।

✶ **अनुच्छेद-60 —** राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करती है। इसके अनुपस्थिति में Sc के शेष 30 न्यायाधिशों में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाऐंगे।

न्यायिक शक्ति — अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत राष्ट्रपति कि क्षमा शक्तियां है। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है यह 5 प्रकार के किसी सजा को माफ कर सकता है।

1. **क्षमा** - जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं।
2. **लघुकरण** - इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदलते हैं किन्तु समय नहीं घटाते हैं।

   Ex- फाँसी की सजा को आजीवन कारावास दस साल कठोर कारावास को दस साल साधारण कारावास।
3. **प्रतिहार** - इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं। किन्तु प्राकृति नहीं।

   Ex- 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कारावास

   — इसका प्रयोग फाँसी की सजा पर नहीं हो सकता है।
4. **विराम** - किसी कैदी को स्वास्थ्य उचित नहीं है। तो उसकी सजा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं।
5. **प्रतिलंबन** - राष्ट्रपति जब फाँसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगाता है। तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यह इस लिए लगाया जाता है। कि कैदी दयायाचिका अपील कर सकें।

Note — राष्ट्रपति civil court तथा सेना कि कोर्ट दोनों कि सजा माफ कर देते हैं। जब कि राज्य पाल केवल civil court की सजा माफ कर सकता है। [मौत कि सजा राज्यपाल छोड़कर]

राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है। किन्तु फाँसी एवं सेना कि सजा को माफ नहीं कर सकता।

⇨ अमेरिकी राष्ट्रपति भी सेना कि सजा को माफ नहीं कर सकता है।

⇨ **शैन्य शक्ति** - यह तीनों सेना का प्रधान होता है। अत: यह किसी देश से युद्ध/विराम कि घोषणा करता है।

⇨ **राजनैतिक शक्ति** - यह भारत के राजदुत को विदेश में भेजता है। तथा विदेशी राजदुत को भारत में आने की अनुमती देता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमती लेकर जाते हैं।

✶ **राष्ट्रपति का अपात कालीन शक्तियाँ -**

1. **राष्ट्रीय अपात अनुच्छेद 352 —** जब किसी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रीमण्डल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय अपात की घोषणा करते हैं।

⇨ घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय अपात का अनुमोदन करना आवश्यक है। यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदक करेगी।

⇨ दोनों सदनों में अनुमोदक मिलने के बाद आपात छ: माह तक लागू अनुमोदक अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है।

⇨ यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रीमण्डल सिफारिस के आपात लागू कर देता है। तो इसकी चुनौती सुप्रिम कोर्ट में दी जा सकती है।

BY KHAN SIR
Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय अपात का प्रभाव

1. इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है।
2. देश का संघीय ढ़ाचा प्रभावित हो जाता है।
3. अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वत: लागू हो जाता है। दी गई विभिन्न प्रकार कि स्वतंत्रता को स्थगित कर देता है।
4. अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मुल अधिकार को स्थगित कर सकता है।
5. राज्य सरकार शक्ति विहिन हो जाती है।
6. संसद राज्य सूची के विषय में कानुन बना सकता है। किन्तु यह प्रभावी केवल 1 साल तक रहता है।

Note — अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रीमण्डल शब्द का चर्चा हुआ है।

⇨ अब तक तीन बार राष्ट्रीय अपात लगा है।

1. 1962 ________ चीन युद्ध
2. 1971 ________ बंगला देश संकट
3. 1975 ________ आंतरिक अशांति

⇨ इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है।

2. **राजकीय आपात या राष्ट्रति शासन-**

यह तब लाया जाता है। जब राज्य का संवैधानिक ढ़ाचा विफल हो जाए। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि-प्रत्येक संविधान के अनुरूप शासन करेगी।

अर्थात् बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केन्द्र सरकारों के दिशा-निर्देशों पर कार्य करेगी।

यदि 355 या 365 का कोई राज्य उलंघन करेगा, तो राज्यपाल की सुचना पर मंत्रिमण्डल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति अपात लागू कर दिया जाता है।

⇨ राजकीय अपात का अनुमोदन 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य है।

यदि राज्यसभा ने कर दिया है तथा लोकसभा अनुमोदन की पूर्व भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर करेगी।

संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह तक लागू रहेगा।

6-6 माह करके इसे अधिकतम तीन माह तक लागू किया जाता है।

⇨ अपवाद के रूप में जम्मू और काश्मीर में राजकीय अपात 3 वर्ष से अधिक तक रहेगी।

⇨ पहली बार राजकीय अपात पंजाब (PEP) 1952 ई॰ में लागू हुआ।

✶ **राजकीय अपात का प्रभाव**-(1) राज्य की सारी शक्तियाँ राज्यपाल के हाथ में चली जाती है।

2. मुख्यमंत्री शक्तिविहीन

3. राज्य की विधायी शक्तियाँ साँस के पास चली जाती है।

4. राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत लगता है।

Note — राजकीय अपात के दौरान H.C. में कार्य प्रभावित नहीं होते हैं।

3. **वित्तिय अपात अनुच्छेद-360 —** इसे USA के संविधान से लाया गया है। इसे तब लाया जाता है। इसे तब लाया जाता है। जब देश कि वित्तिय स्थिति काफी खराब हो।

⇨ इसे मंत्रिमण्डल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं।

⇨ संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर अनुमोदन करना अनिवार्य है।

Scanned with CamScanner

उपराष्ट्रपति

उसका
- उपराष्ट्रपति (अनु. 63)
- सभापति (अनु.640)
- राष्ट्रपति कार्यवाहक (अनु. 65)

निका
- निर्वाचन (अनु. 66)
- कार्यकाल (अनु. 67)

चुस
- चुनाव का समय (अनु. 68)
- शपथ (अनु. 69)

✱ **अनुच्छेद-63 —** राष्ट्रपति के पद की चर्चा है जो U.S.A के संविधान से ली गई है।

✱ **अनुच्छेद-64 —** राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। किन्तु वह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है।

✱ **अनुच्छेद-65 —** राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। किन्तु इस दौरान वह राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा।

✱ **अनुच्छेन-66 —** उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं। चाहे वह मनोनित हो या निर्वाचित।

⇨ राज्य की विधानमण्डल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए योग्यता।

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) पागल या दिवालिया न हो।

(3) 35 वर्ष आयु का हो।

(4) लाभ के पद पर न हो।

(5) 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक हो।

(6) 15000 रुपया जमानत कि राशि हो।

(7) राज्यसभा का सदस्य बनने कि योग्यता।

✱ **अनुच्छेद-67 —** राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यत: 5 वर्ष का होता है किन्तु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है। तो वह तब तक अपने पदों पर रहेगा। जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित न हो सके।

5 वर्ष से पहले भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।

✱ **उपराष्ट्रपति पर महाभियोग-**

यह राज्य सभा का सभापति होता है। इसी कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्य सभा से ही प्रारंभ होगा।

⇨ **महाभियोग**-प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 1/4(25%) । मत की आवश्यकता है जब राज्य सभा इसे पारित कर देते हैं। तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सुचना उपराष्ट्रीय को दी जाती है। ताकि वह अपनी बात रख सके। यदि लोकसभा का 2/3 (66%) से मत पारित कर देती है। तो उसे हटा दिया जाता है।

⇨ अब तक किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है।

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)

Scanned with CamScanner

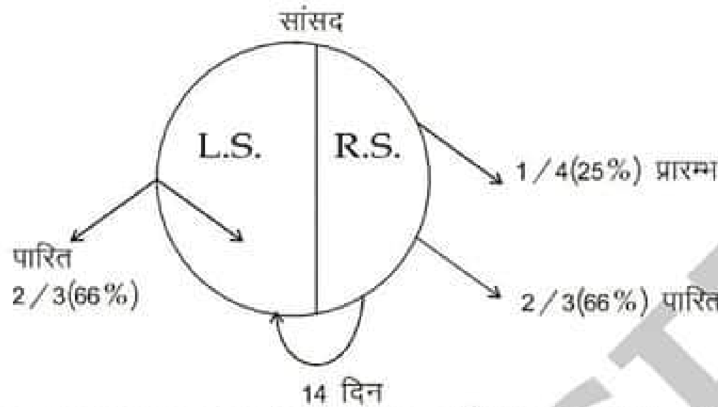

✱ **अनुच्छेद-68 —** उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है। अर्थात् इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया है।

✱ **अनुच्छेद-69 —** उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है।

✱ **अनुच्छेद-70 —** वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। और उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा।

Ex- खराब स्वास्थ्य, अपहरण इत्यादि।

अनुच्छेद 62	अनुच्छेद 63	अनुच्छेद 64
त्यागपत्र → मृत्यु → महाभियोग → अवैध → कार्यकाल	कार्यवाहक राष्ट्रपति (उपराष्ट्रपति)	→ स्वास्थ्य खराब → अपहरण → व्यस्ता

✱ **अनुच्छेद-71 —** राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाऐगा।

✱ **अनुच्छेद-72 —** राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ है।

✱ **अनुच्छेद-73 —** संघ की कार्यपालिका कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानुन बनाएंगा।

✱ **अनुच्छेद-74 —** राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रीपरिषद होगा। जिसका अध्यक्ष PM होगा। अर्थात् मंत्रीपरिषद् प्रधानमंत्री के अधीन होता है।

✱ **अनुच्छेद-75 —** मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध (व्यवस्था) अर्थात् मंत्रीयों की नियुक्ति P.M. के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।

⇨ 1861 ई॰ से भारत में लार्ड केनिंग ने विभागीयों प्रणाली (पोर्ट पोलियो) लागू कर दिया। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग-अलग विभाग में बाँट दिया। इसे मंत्रियों को सौंप दिया।

मंत्रीपरिषद् (Counsil of Minister)

⇨ इसमें 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं।

1. **कैबिनेट मंत्री** - यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
2. **राज्यमंत्री** - प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री का सहायक है। यह हर एक राजय में नहीं होता है। यह हर एक विभाग में होता है।
3. **राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)** - जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है। तो उस विभाग के राज्यमंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है।

⇨ **उपमंत्री** - यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री है। यह राज्यमंत्री कि सहायता करता है।

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)
Scanned with CamScanner

NDA 1 – 2014 – 19

NDA 2 – 2019 – 24

United Progressive Allion [संयुक्त प्रगतिशिल गठबंधन संप्रग]

⇨ कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन U.P.A. कहलाता है।

→ Congress
→ B.SP. (U.P.)
→ S.P. (U.P.)
→ R.J.D. (BIHAR)

UPA 1 – 2004 - 09

UPA 2 – 2009 - 2019

⇨ U.P.A. या NDA के आलावा बनाया गया गठबंधन तीसरा मोर्चा है।

✱ **प्रधानमंत्री की शक्तियाँ** – ये योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद्, राष्ट्रीय एकता परिषद् मंत्रीमंडल तथा मंत्रीपरिषद् राष्ट्रीय एकता परिषद् मंत्रीमण्डल तथा मंत्रीपरिषद् अध्यक्ष होता है।

⇨ PM, CAG महान्यायवादी मंत्री etc के न्यूक्ति सम्बंधी सिफारिस राष्ट्रपति को भेजते हैं।

⇨ "मोरले नामक विद्वान ने PM को समकक्षों में सबसे प्रथम कहा है।"

⇨ म्युर नामक विद्वान ने राज्यरूपी जहाज का स्टेरिंग व्हील मंत्री मण्डल को कहा जाता है।

Note — बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति छः माह तक PM या मंत्री रह सकता है। किन्तु छः माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी।

"उपप्रधानमंत्री"

⇨ इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है। यह राजनैतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है।

⇨ जब PM देश से बाहर रहते है तो उपप्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं।

⇨ जब उपप्रधानमंत्री नहीं रहता है तो गृहमंत्री देश पर नियंत्रण रखता है।

⇨ अब तक सात उपप्रधानमंत्री बने हैं।

1. सरदार पटेल
2. मोरारजी देसाई
3. चौधरी चरण सिंह
4. जगजीवन राम
5. B.B. चौहान
6. देवी लाल
7. लाल कृष्ण आडवानी

महान्यायवादी (Attormy General):— इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। यह केन्द्र सरकार का प्रथम विधी (अधिकारी कानुनी सलाहकार) होता है।

यह संसद का सदस्य नहीं होता है। किन्तु कार्यवाही में भाग लेता है। यह मतदान नहीं कर सकता है।

⇨ यह पूर्णकालिका (5 वर्षों केलिए) नहीं होता है।

⇨ बल्कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त (इच्छानुसार) होता है जिस कारण यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है।

⇨ इन्हें वेतन संचित निधी से नहीं मिलता है बल्कि प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है।

⇨ केन्द्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमें को महान्यायवादी लड़ता है।

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)

Scanned with CamScanner

⇨ यदि राज्यसभा ने अनुमोदक कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिनों में भीतर अनुमोदित करेगी।

⇨ एक बार अनुमोदक मिलने के बाद जब तक संसद नहीं हटाती तो यह नहीं हटता है।

⇨ यह अभी तक लागू नहीं है।

प्रभाव :- (1) राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष सरकारी कर्मचारी के वेतन काट लिया जाते हैं।

2. सरकारी खर्च में कटौती की जाती है।

3. Tax बढ़ा दिया जाता है।

आपात	**संसद का अनुमोदन**	**नई लोकसभा**
राष्ट्रीय आपात अनु॰-352	30 दिनों के अंदर	30 दिन
राजकीय आपात अनु॰-356	60 दिन	30 दिन
वित्तीय आपात अनु॰-360	60 दिन	30 दिन

✶ **राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति**-इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है अर्थात् किसी को बहुमत न मिले तो करते हैं।

⇨ जब लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को PM घोषित कर देते हैं। और 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं।

यदि उसने 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध कर दिया तो वह PM होगा अन्यथा दोबारा चुनाव होगा।

✶ **राष्ट्रपति की वीटो शक्ति**-विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। यह तीन प्रकार की है।

1. **अत्यंत कारी वीटो**-राष्ट्रपति जब विधेयक को पुरी तरह रद्द कर देते हैं। तो उसे अत्यंत कारी वीटो कहते हैं। अब यह समाप्त हो चुका है।

2. **निलंबकारी**-राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं।

3. **Pocket/जेब बिटो**-जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अपना हस्ताक्षर करे न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाएं। बल्कि उसे अपने ही पास रख ले, तो उसे Pocket बीटो कहते हैं।

⇨ डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने जेब बीटो का उपयोग किया है।

✶ **विशेषाधिकार शक्ति**-राष्ट्रपति पर दिवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। किन्तु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता है।

कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा। अर्थात् यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

⇨ राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलाधिपति होते हैं।

अनुच्छेद-61 — राष्ट्रपति का महाभियोग-महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया U.S.A. के संविधान से लिया गया है। अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।

राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जिस सदन से महाभियोग प्रारंभ करना है। उस सदन का 1/4 (25%) सदस्य अनुमोदित करेंगे। अनुमोदन मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेंगे।

⇨ जब एक सदन महाभियोग पारित कर देता है। तो दुसरा सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सुचना राष्ट्रपति को दी जाती है।

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)

Scanned with CamScanner

Remark— जब किसी विभाग को दुसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है। तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं।

मंत्रीमण्डल (Group of Minister)—

इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं।

⇨ मंत्रिमण्डल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में है।

note — Prime Minister मंत्रीमण्डल तथा मंत्रीपरिषद् दोनों का अध्यक्ष होता है।

सुपर कैबिनेट - अर्थशास्त्री "K संथानन" ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है।

✶ **किचेन कैबिनेट** - प्रधानमंत्री के सगे सम्बंधियों को किचेन कैबिनेट कहा जाता है।

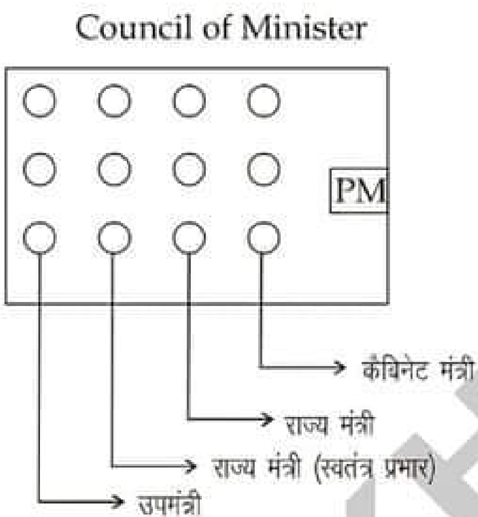

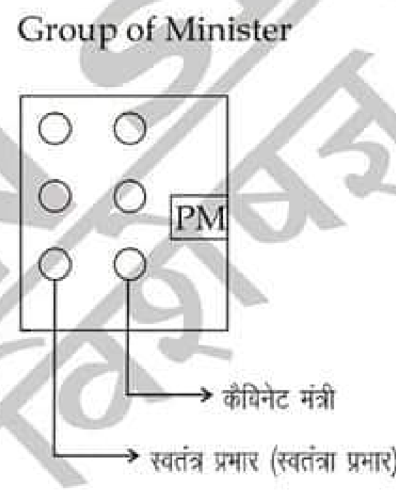

⇨ मंत्री परिषद् में विभाग वितरण P.M के इच्छानुसार होती है।

⇨ यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। वह लोक सभा में बैठ सकता है। किन्तु मतदान के समय वह अपने सदन में चला जाता है।

⇨ मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।

⇨ मंत्री परिषद का अध्यक्ष PM होता है। अत: PM के मृत्यु त्याग पत्र से मंत्री परिषद भंग होता है। और जब नया PM पुन: मंत्री परिषद् का गठन करता है।

इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती है। अर्थात् दुवारा चुनाव नहीं होगा।

⇨ दुवारा चुनाव तभी होगा जब बहुमत (273) शीट कम पर जाऐगी।

⇨ बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जाता है।

⇨ B.J.P. के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन National Democrative Allian [राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग, NDA)] है।

सहायक दल :-

- शिवसेना (महाराष्ट्र)
- अकाली दल (पंजाब)
- JDU (बिहार)
- लोजपा (बिहार)

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)
Scanned with CamScanner

⇨ यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है। इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है।

ਖ SSoticity General सहायक देता है। S.G. को Aditional Solicity General सहायता देता है।

⇨ वर्त्तमान महान्यायवादी KK वेणुगोपाल है।

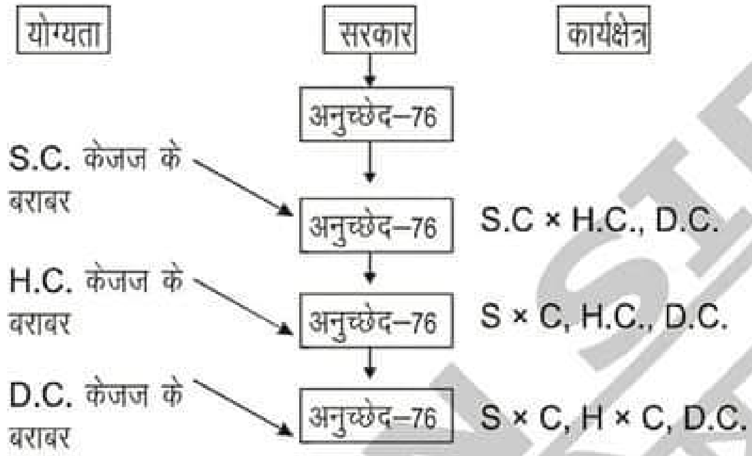

अनुच्छेद-77 — केन्द्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा है जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा सम्पन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानुन बना सकते है।

अनुच्छेद-78 — PM का यह कर्त्तव्य होगा कि संसद के कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे। +AG

अनुच्छेद-78 — संसद-संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियन्स वेकर्ड ने किया। Parliyament शब्द फ्रांस से लिया गया है। जब कि संसद की जननी U.K. को कहते हैं।

संसद के 3 अंग है। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति

⇨ संसद के दो सदन है।

लोकसभा और राज्यसभा

संसद किसी अन्तराष्ट्रीय संधि था समझौता को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है। बिना उस राज्य के अनुमति के।

⇨ संसद के बिच का भाग Central hall कहलाता है। विदेशी अतिथि Central hall में ही भाषण देते है।

⇨ संविधान का निर्माण Central hall में ही बैठक हुआ है।

⇨ इसमें 1000 तक आदमी बैठ सकता है।

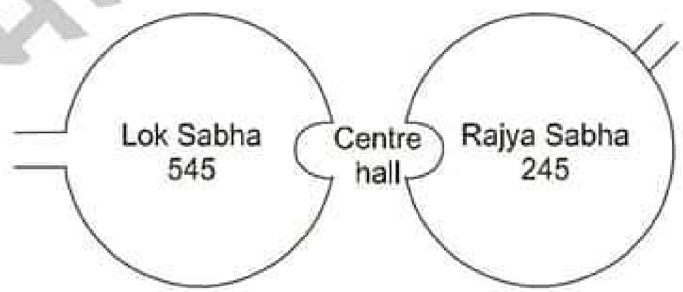

⇨ यह 1927 ई॰ में बनना शुरू हुआ।

BY KHAN SIR
Scanned with CamScanner

राज्यसभा

- ⇨ इसका विघटन नहीं हो सकता है। जिस कारण इसे स्थायी/उच्च सदन कहते हैं।
- ⇨ इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है। अतः इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है।
- ⇨ इसमें मंत्रीमडल नहीं बैठते हैं। और न ही इसके बहुमत के आधार पर PM बनते है।

  अतः इसे द्वितिय सदन भी कहते है।
- ⇨ किसी भी राज्य का शक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है।

  Eg– मनमोहन सिंह पंजाब के हैं। जब कि वह असम से चुनाव लड़े थे।
- ⇨ राज्यसभा की चर्चा "अनुच्छेद-30" में है जब कि अनुच्छेद 80 (क) के तहत राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन कर देते हैं। जो विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र में अच्छे हो।
- ⇨ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष का होती है। किन्तु इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एकही बार में नहीं होता है। बल्कि प्रत्येक दो वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है।

  R.S = 6 वर्ष (2 वर्ष पर चुनाव)

(1/3 सदस्य) (1/3 सदस्य) (1/3 सदस्य)

2010 —2 वर्ष→ 2012 —2 वर्ष→ 2014

2016 —2 वर्ष→ 2018 —2 वर्ष→ 2020

- ⇨ राज्य में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। किन्तु P.O.K पर पाकिस्तान के कब्ज के कारण वर्त्तमान संख्या-245 है।
- ⇨ राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या (245 – 12) 233 है।
- ⇨ राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता-

  1. भारत का नागरिक हो।
  2. पागल दिवालिया न हो।
  3. किसी लाभ के पद पर न हो।
  4. कम से कम 30 वर्ष आयु का हो।
- ⇨ राज्यसभा को शिक्षित तथा वृद्धों का सदन कहा जाता है।
- ⇨ राज्यसभा की पहली बैठक 3APR 1952 को हुई थी उस समय इसका नाम Council of State था।
- ⇨ 3 Aug 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया।

राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ-

1. उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है।
2. जब लोकसभा भंग रहती है। तो आपात का अनुमोदन राज्यसभा से ही होता है।
3. अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसुची के विषय में कानुन बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानुन बना देता है।
4. अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन (निर्माण) का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं।

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)

Scanned with CamScanner

Eg– भारतीय वन्य सेवा।

राज्यसभा की कमजोरी– 1. बजट लोसभा में प्रस्तुत होता है। राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है।

2. मंत्रीपरिषद् राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।

3. यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा कि संख्या बल अधिक होती है।

4. जिस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छानुसार पारित हो जाता है।

लोकसभा (अनुच्छेद-80)

⇨ इसका 5 वर्ष से पूर्व भी निघटन हो सकता है। जिस कारण इसे स्थायी या निम्न सदन कहते हैं।

⇨ इसके बहुमत के आधार पर PM बनते हैं। तथा मंत्रीपरिषद् लोकसभा में बैठता है। इसे प्रथम सदन कहते हैं।

⇨ इसका चुनाव जनता सीधे करती है। अत: इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहते हैं।

⇨ भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है।

⇨ एकही व्यक्ति दो लोकसभा सिटों से चुनाव लड़ सकता है। किन्तु यदि दोनों से जीत गया तो एक सीट से त्यागपत्र देना होता है।

Eg– नरेन्द्र मोदी = बरोदरा (त्याग) बनारस

Note — जब एक सीट से त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर कराया गया। चुनाव उपचुनाव कहलाता है। जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। तथा छ: माह के भीतर कराना होगा।

⇨ लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए योग्यता

1. भारत का नागरिक हो।

2. पागल, दिवालीया एवं लाभ के पद पर न हो।

3. आयु 25 वर्ष हो अत: लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं।

⇨ लोकसभा की पहली बैठक 1952 ई॰ हुई उस समय इसका नाम House of People था।

1954 में इसका नाम बदलकर लोसभा किया गया।

Note — संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्य सभा दोनों की शक्तियाँ समान है।

सांसद अनुच्छेद–79

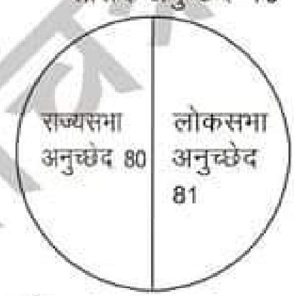

विघटित नहीं होता है ⟷ विघटित होता है।

स्थाई/उच्च सदन ⟷ अस्थाई/निम्न सदन

अप्रत्यक्ष ⟷ प्रत्यक्ष

शिक्षितों का सदन ⟷ जनता का सदन

वृद्धों का सदन (30y) ⟷ यूवाओं का सदन (25 year)

द्वितीय सदन ⟷ प्रथम सदन मंत्री

मंत्री नहीं बैठते हैं ⟷ मंत्री बैठते हैं

12 सदस्य (मनोनित) ⟷ 2 Anglo India (मनोनित)

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)
Scanned with CamScanner

अनुच्छेद-82 — प्रत्येक गणना के वाद सिटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक संसद कि व्यवस्था है।

वर्त्तमान सिटों कि संस्था 1971 कि जनगणना पर आधारित है।

2002 में 84वें संशोधन में यह व्यवस्था किया गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सिटें 2026 तक नहीं बदली जाऐगी। जब यह बदली जाऐगी तो 2001 कि जनगणना पर आधारित होगा।

यह व्यवस्था कुल दीप सिंह समीति द्वारा की गई थी।

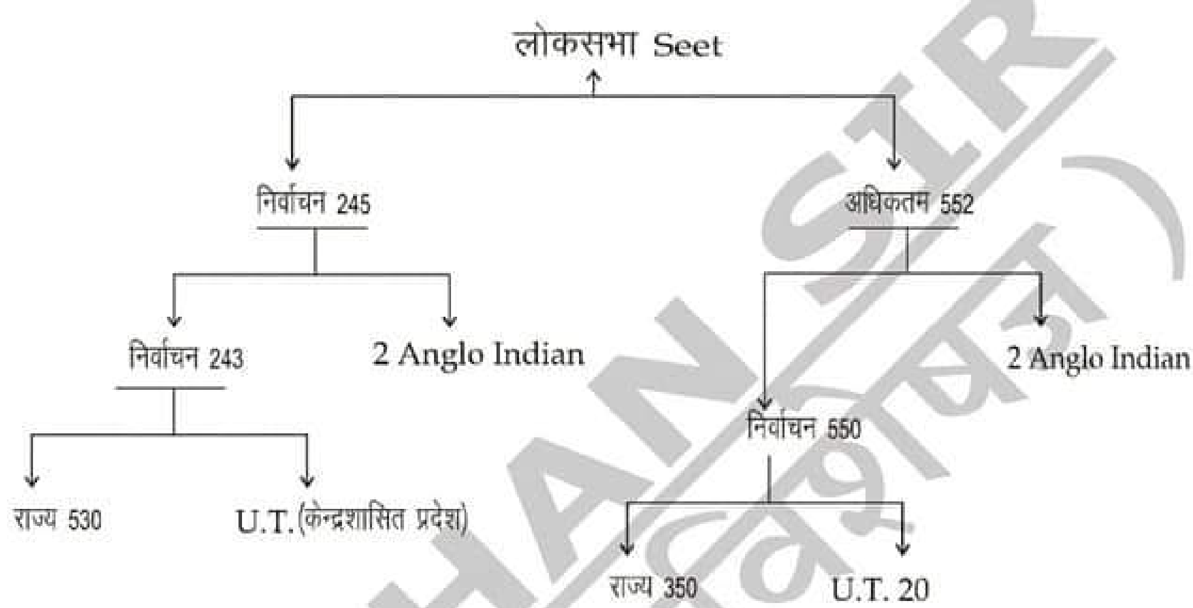

अनुच्छेद-83 — सदन कि अवधि की चर्चा है। राज्य सभा स्थायी सदन है जब कि लोकसभा कि अवधि 5 वर्ष है।

अनुच्छेद-84 — संसद की योग्यता है।

1. भारत के नागरिक हो।
2. पागल दिवालीया तथा लाभ के पद पर न हो।
3. लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु हो।

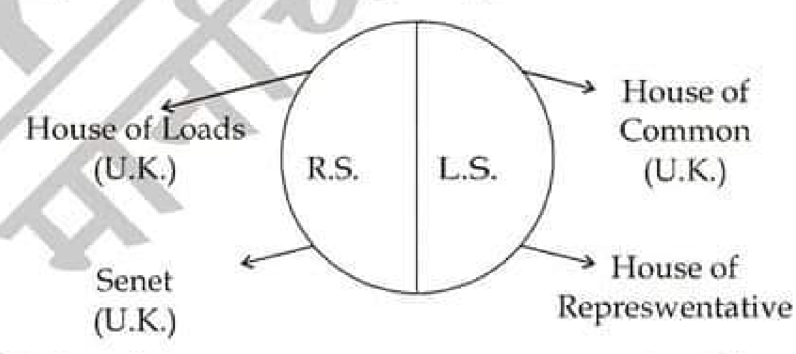

अनुच्छेद-85 — इसमें सत्र के लिए आहुत (बुलाना) तथा सत्रावसान (सत्र खत्म) कि चर्चा है।

सत्र का आहुत :- राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए LS तथा RS के सदस्यों को बुलाते हैं तो इसे सत्र आहुत कहते हैं।

सत्रावसान :- यह दोनों सदन कानुन बना लेते है तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देता है।

कार्यवाही स्थगित :- अनूशासनहीनता तथा शोर शराबों के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घण्टा या कुछ दिनों के लिए स्थगित L.S. के अध्यक्ष तथा R.S. के सेनापति करते हैं।

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)

Scanned with CamScanner

विघटन :- R.S का विघटन नहीं होता है बल्कि L.S का विघटन होता है। L.S का समय से पूर्व (5 वर्ष) समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है।

⇨ यदि बहुमत (273 सीट) न हो या बहुमत के PM मंत्रीमंडल से प्रस्ताव पारित कराके L.S को भंग/विघटित करा सकते हैं।

✶ "संसद के सत्र" ⟶ भारतीय संसद के तीन सत्र है।

	आहुत	सत्रावदान
1. बजट सत्र-	(Feb – May)	बड़ा सत्र
2. मानसुन सत्र-	(July – Aug)	
3. शीतकालीन सत्र-	(Nov – Dec)	छोटा सत्र

Remark– संसद के किन्हीं दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है।

⇨ जब संसद का सत्र नहीं रहता है तब अस्थाई कानुन राष्ट्रपति बनाता है।

अनुच्छेद-86 —

राष्ट्रपति का अभिभाषण- राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक अर्थात् बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से सम्बोधित करते हैं।

⇨ राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रीमंडल द्वारा लिखा गया है।

अनुच्छेद-87 —

राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण – 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित LS कि पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति सम्बोधित करते हैं।

⇨ यह किसी भी सत्र में हो सकता है।

अनुच्छेद-88 — सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी तथा विशेष प्रावधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है। किन्तु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता है मंत्री अपने सदन में जाकर vote करता है। जिस सदन का वह सदस्य होता है।

अनुच्छेद-89 — इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति कि चर्चा है।

⇨ राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता क्योंकि वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है।

⇨ सभापति राज्य सभा का पदेन (सर्वेसर्वा) होता है।

अर्थात् राज्यसभा में वह सर्वोपरी होता है।

⇨ सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं किन्तु जब पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तो सभापति अपना मत देते हैं। उनका मत निर्णय ला देता है जिसे निर्णायक मत कहते हैं।

⇨ सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करते हैं। किन्तु वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है।

⇨ राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति को चुनात है। अत: उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है।

Remark– जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहे तो राज्यसभा में से 5 वरिष्ठ सदस्य में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थाई सभापति रहेगा।

अनुच्छेद-93 — इसमें LS के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है LS अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लेती है।

⇨ अध्यक्ष लोकसभा का पदेन होता है।

⇨ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही LS के सदस्य होते हैं। इन्हें हटाने के लिए LS के प्रस्ताव पारित करना होता है।

Protion Speaker – यह अस्थाई अध्यक्ष होता है। यह नवनिर्वाचन सदस्यों को शपथ दिलाता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है।

BY KHAN SIR (वैश्विक विशेषज्ञ)
Scanned with CamScanner

➪ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते हैं। बल्कि एक समान्य सदस्य के रूप में Protain Speaker द्वारा शपथ ले लेता है।

➪ जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो Protain Speaker हट जाता है।

➪ Protain Speaker उसे बनाया जाता है। जो LS में वरिष्ठ होता है।

अध्यक्ष की शक्तियाँ- 2. लोकसभा की बैठक को निर्यंत्रित करता है।

2. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण Speaker करता है।

3. लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष में अधीन होता है।

4. विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधी का नाम कि संयुक्त Speaker करते हैं।

5. गणपूर्ति (1/10 शीट) के अभाव में LS कि कार्यवाही को अध्यक्ष रोक देता है।

6. संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता LS अध्यक्ष करते हैं।

7. संसद के विभिन्न समीतियों के सदस्य की न्यूक्ति अध्यक्ष करते हैं।

8. अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं किन्तु पक्ष तथा विपक्ष में मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है।

अध्यक्ष की दण्डात्मक शक्तियाँ-

1. अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर देते हैं।

2. यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता रद्द कर देती है।

3. दल-बदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर देती है।

अनुच्छेद-98 — संसद का सचिवालय

अनुच्छेद-99 — संसदों के शपथ की चर्चा।

अनुच्छेद-100 —

गणपूर्ती (Corn)—

किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए 1/40 सदस्य का होना आवश्यक है। इसके अभाव में सभापति/अध्यक्ष सदस्य की कार्यवाही रोक देती है।

Remark— अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति तथा CAG इन्हें संसद का अधिकारी कहा जाता है।

संसदीय समितियाँ-इन समितियों के सदस्य का नियुक्ति LS का अध्यक्ष करते हैं।

➪ स्थाई समीति प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।

➪ "स्थाई समीति" तीन प्रकार के होते हैं।

1. **प्राक्लन समीति** - यह धन निकालने के लिए बजट तैयार करती है। सबसे बड़ी स्थाई समीति है। इसमें RS के सदस्य नहीं बनते है केवल LS के 30 सदस्य होते हैं।

2. **लोक लेखा समीति** - बजट द्वारा निकाले गए धन की जाँच करती है। इसे प्राक्लन समीति की जुड़वा बहन कहते हैं।

➪ इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है।

➪ इसमें LS से 15 तथा RS से 7 सदस्य आते हैं अर्थात् कल कुल 22 सदस्य आते हैं।

3. **सरकारी उपक्रम समीति** - यह सरकारी कंपनी जैसे NTPC, BSNL इत्यादि कम्पनियों की जाँच करती है। इसमें LS से 15 तथा RS से 7 सदस्य होते हैं।

अर्थात् कुल 22 सदस्य होते हैं।

✱ **अस्थाई समीति**- इसका गठन विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। इसे तदर्थ समीति कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है।

1. **प्रवल समीति** - यह विवादित विधेयक पर गठन जाँच करती है। इसमें LS तथा RS के अलग-अलग सदस्य द्वारा कार्य किया जाता है। LS से 30 तथा RS से भी सदस्य होते हैं।

Eg- G.S.T. की जाँच

Scanned with CamScanner

2. संयुक्त प्रबल समीति- किसी घोटाले की जाँच कराता है।

Eg- वोफोर्ड तोप घोटाला

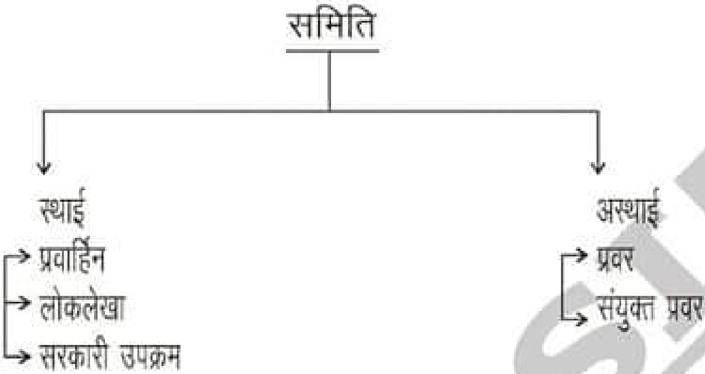

✱ **संसद के विभिन्न प्रस्ताव**-

1. **प्रस्ताव**-संसद को दी गई लिखितजानकारी प्रस्ताव कहलाता है।

2. **विधेयक**-जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो जाता है। तो उसे विधेयक कहा जाता है।

3. **कानुन**-जब किसी विधेयक पर LS, RS तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए तो उसे कानुन कहते हैं।

4. **अधिनियम**-किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अस्थाई कानुन अधिनियम/अध्यादेश कहलाता है।

5. **विशेषाधिकार प्रस्ताव**-किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है।

6. **ध्याना प्रस्ताव**-किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इसे लाने के बाद मंत्री को स्पष्टीकरण देना होता है।

7. **कार्यस्थगन प्रस्ताव**-किसी आपातकालीन या अविलंबनीय मुद्दे पर चर्चा करने के इसे लाया जाता है। इसे लाने पर सांसद में पहले से चल रही कार्यवाही को रोक दिया जाता है। आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा की जाती है।

Eg- विदेशी आक्रमण

8. **कटौती प्रस्ताव**-सरकार जब बजट से अधिक धन की चर्चा कर देती है। तो विपक्ष उसे कम करने के लिए यह लाता है।

9. **नींदा प्रस्ताव**-जब कोई मंत्री अपने कार्यों को ठीक से नहीं करता है तो उसके विरूद्ध नींदा प्रस्ताव लाया जाता है।

यह प्रस्ताव पारित होने पर उस मंत्री को त्याग पत्र देना होता है।

यदि पुरे मंत्रीपरिषद् के विरूद्ध नींदा प्रस्ताव हो जाए तो पुरे मंत्रीपरिषद् को हटाना होता है।

यह अविश्वास प्रस्ताव के समान हो जाता है।

10. **अविश्वास प्रस्ताव**-बहुमत या विश्वास मत (273 सीट) के बराबर होता है। जब किसी Party के पास 273 सीट से कम हो तो उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया।

यह प्रस्ताव लाने पर उस सरकार को 273 सीटें दिखाने होते हैं। यह प्रस्ताव लाने पर उस सरकारी को 273 सीटें दिखानी होती है। यदि 273 सीटे पुरी नहीं हो पायी तो सरकार को हटा दिया जाता है।

Eg- अटल विहारी वाजपेयी की सरकार इस प्रस्ताव के कारण 13 दिनों में गिर गई थी।

⇨ इस प्रस्ताव को लाने पर इसकी सुचना 10 दिनों पहले देनी होती है।

✱ **संसद की कार्यवाही**

1. **प्रश्नकाल**-1100 Am से 12100 Am – ये संसद का पहला घण्टा होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पुछे जाते हैं।

2. **तारांकित प्रश्न**-यह मौखिक पुछे जाते हैं। इसके स्पष्टीकरण के लिए पुरक प्रश्न भी पुछे जाते हैं। पुरक प्रश्न की अधिकतम संख्या 3 (तीन) होती है।

BY KHAN SIR

CS Scanned with CamScanner

2. बैंकिंग – 1978

3. POTA – 2001

अनुच्छेद-109 – धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान

1. यह पहले LS से ही प्रारंभ होता है।

2. RS इसे 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती है।

3. धन विधेयक पर दिया गया प्रस्ताव LS मानने के लिए बाध्य नहीं है।

4. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण LS अध्यक्ष करता है।

5. यह विधेयक राष्ट्रपति के पुर्व अनुमति से आता है। अत: इसे राष्ट्रपति पुर्नविचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं।

अनुच्छेद-110 – इसमें धन विधेयक कि परिभाषा है। इसके अनुसार संचित निधी (सरकारी खाता) परिभाषित होने वाला विधेयक धन विधेयक कहलाता है किसी Tax को बढ़ाने या घटाने वाला विधेयक इसी के अन्तर्गत आता है।

अनुच्छेद-111 – विधेयक पर राष्ट्रपति कि अनुमति किसी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं।

1. **विधेयक को रद्द करते हैं**-42वाँ संशोधन द्वारा यह अधिकार छीन लिया गया।

2. **पुनर्विचार**-विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यह अधिकार 44वाँ संशोधन द्वारा दिया गया।

3. विधेयक पर जेबी वीटो कर सकते हैं।

अनुच्छेद-112 – इसमें बजट कि चर्चा है। बजट का अर्थ होता है।-चमड़े का थैला

संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तिय विवरण की चर्चा है।

⇨ बजट LS में पहले प्रस्तुत होता है।

⇨ बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किन्तु ये वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री से इसे प्रस्तुत करवाते हैं।

⇨ बजट में केवल इस बात की चर्चा की जाती है। कि कौन-कौन से विकासात्मक कार्यों को करना है बजट द्वारा धन नहीं निकलता है।

अनुच्छेद-113 –

प्राकलन- बजट में किये गए घोषणाओं पर कितना खर्च आएगा। इस खर्च कि प्रकलन में किया गया है।

अनुच्छेद-114 –

विनियोग विधेयक-प्राकलन में बताये गए धन को निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित करना होता है।

⇨ जब तक विनियोग पारित न हो जाए तब तक धन नहीं निकल सकता।

संसद को राष्ट्रीय कोष (धन) का रक्षक कहा जाता है।

अनुच्छेद-115 –

अतिरिक्त/अनुपूरक अनुदान-विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन महंगाई बढ़ने के कारण कम पड़ जाता है। जिस कारण काम रूक जाता है। अत: पुरा काम करने के लिए अतिरिक्त धन को अतिरिक्त अनुदान नामक विधेयक से लिया जाता है।

Eg- पाटलीपुत्रा में बनने वाला दिघापुल

अनुच्छेद-116 –

लेखानुदान-विनियोग विधेयक पारित करने में सरकार को समय लगता है। अत: सरकार काम को जल्दी प्रारंभ करने के लिए लेखानुदान के माध्यम से कुछ Advance पैसे निकाल देती है।

Scanned with CamScanner

⇨ कभी-कभी लेखानुदान तो पारित हो जाती है। किन्तु विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है। जिस कारण काम अधुरा पड़ जाता है।

अनुच्छेद-117 —

वित्त विधेयक- आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकाासात्मक कार्य Finance Bill कहलाता है। यह LS तथा RS दोनों में प्रस्तुत हो सकता है।

अनुच्छेद-120 —

संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा-संसद में केवल हिन्दी या English में प्रयोग हो सकता है।

यही किसी संसद को ये दोनों भाषा न आये तो वह सभापति/अध्यक्ष से अनुमती लेकर अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल सकता है।

अनुच्छेद-121 — संसद जजों के आचरण कार्य प्रणाली इत्यादि पर चर्चा नहीं कर सकता किन्तु उन पर महाभियोग लगा सकता है।

अनुच्छेद-122 — न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जाँच नहीं की जाऐगी। किन्तु विधेयक संवैधानिक है या नहीं इसकी जाँच होगी।

अनुच्छेद-123 —

राष्ट्रपति का अध्यादेश-जब संसद का कोई सत्र न चल रहा हो तथा कोई अपातकालीन कानुन कि जरूरत हो तो मंत्रिमंडल के सिफारिस पर राष्ट्रपति अस्थाई कानुन बना लेते हैं। जिसे अध्यादेश कहते हैं।

⇨ राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है।

⇨ एक राष्ट्रपति चाहे जीतनी बार अध्यादेश ला सकता है।

⇨ अध्यादेश कि अधिकतम अवधि छः माह होती है। क्योंकि दो सत्रों के बिच एक अधिकतम अंतराल छः माह होता है।

⇨ यदि इस छः माह के भीतर कोई सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश की अवधि मात्र 42 दिन रह जाती है। इसे स्थायी कानुन बनाने के लिए 42 दिन 16 माह के भितर संसद द्वारा इसे पारित करना होगा। अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा।

"सर्वोच्च/उच्चतम न्यायालय"

अनुच्छेद-124 — इसमें SC के गठन की चर्चा है। SC में 30 + 1 = 31 जज बैठते हैं।

SC में जजों कि संख्या वृद्धि का अधिकार सांसद को है।

SC में जज बनाने के लिए भारत के किसी भी HC में 5 साल जज/10 साल वकील साथ ही राष्ट्रपति के नजर में कानुन का अच्छा जानकार होना चाहिए।

SC में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जज के व्यक्ति के न्यूक्ति के समय राष्ट्रपति कोलोजियम से सलाह लेते हैं।

Remark– SC के पाँच senior जजों को कोलोजियम कहते हैं।

जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है।

अब तक किसी जज को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है।

SC के जज रामा स्वामी के विरूद्ध महाभियोग लाया गया था। किन्तु पारित न हो सका।

SC के जज 65 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं।

अनुच्छेद-125 — जजों का वेतन- जजों को संचित निधी से वेतन दिया जाता है। जिसमें कटौती नहीं की जाती है।

CJI को 280 लाख रुपया दिया जाता है। तथा अन्य जजों को 250 लाख रुपया दिया जाता है।

अनुच्छेद-126 — जब CJI अनुपस्थित रहता है। तो कुछ जजों में से ही एक मुख्य न्यायाधीश बनता है। जिसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं।

Scanned with CamScanner

⇨ SC संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। यह एक निष्पक्ष तथा स्वायत्त संस्था है। यह अपनी स्वायत्त/निष्पक्ष बनाऐ रखने के लिए सभी नियुक्तियाँ स्वयं करता है। SSC या अन्य संस्था द्वारा नहीं करती है।

⇨ SC के कर्मचारियों की पदोनत्ति निलंबन तथा स्थानांतरण स्वयं SC करती है।

कर्मचारी तथा जजों का वेतन संचित निधी से दिया जाता है। संसद इसमें कटौती नहीं कर सकती है।

CAG (Comptilles & Auditor General)— नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

⇨ CAG की चर्चा अनुच्छेद-148 से 151 तक है।

अनुच्छेद-148 — इसमें CAG के पद की चर्चा है। CAG कि नियुक्ति PM की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं यह 65 वर्ष आयु या 16 वर्ष तक कार्यकाल अपने पद पर रहते हैं।

ये राष्ट्रपति के प्रसाद पसंद नहीं होते हैं। बल्कि इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है।

ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते है। मंत्रीपरिषद का कोई सदस्य CAG नहीं हो सकता है।

अनुच्छेद-149 — इसमें CAG की शक्ति कि चर्चा है। CAG भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है। अर्थात् केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी खर्च कि जाँच CAG कर देता है।

अनुच्छेद-150 — CAG केन्द्र तथा राज्य दोनों के ही लेखाओं की जाँच कर सकता है।

अनुच्छेद-151 — CAG केन्द्र तथा राज्य के लेखाओं की जाँच की Report राष्ट्रपति को देता है।

Remark— CAG की Report को लोक लेखा समीति जाँच करती है।

"भाग-06 (राज्य)"

⇨ यह भाग में अनुच्छेद-152 में से 2378 तक है।

अनुच्छेद-152 — "राज्य की परिभाषा"- राज्य के पास क्षेत्रफल जनसंख्या तथा शासन ये तिनों चिजें होती है। किन्तु सम्प्रभुता नहीं होती है। जिस कारण उसे राज्य कहते हैं।

अनुच्छेद-153 — राज्यपाल का पद- राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। प्रत्येक एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किन्तु दो राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही होगा। किन्तु राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिल कर देंगे।

अनुच्छेद-154 — राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। किन्तु वह औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान CM होता है। कार्यपालिका के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाता है। जिसके राज्यपाल को अलग-अलग शक्ति प्राप्त है।

1. **कार्यकारी शक्ति**- इसके अंतर्गत राज्यपाल, CM, मंत्रियों तथा विभिन्न पदाधिकारी की नियुक्ति करते हैं।

2. **विधायी शक्ति**- यह नियम कानुन से सम्बंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमण्डल के सत्र को बुलाते हैं। तथा सत्रावसान करते हैं।

ये विधेयक पर जब तक हस्ताक्षर न कर दे विधेयक कानुन नहीं बनता है।

3. **वित्तिय शक्ति**- इसके अन्तर्गत राज्यपाल Emergency fund से पैसा निकाल सकता है। पंचायतों के वित्तिय स्थिति में सुधार के लिए "राज्य वित्त आयोग" का गठन करते हैं।

4. **क्षमादान शक्ति- अनुच्छेद**-161 के तहत राज्य राज्यपाल सजा माफ कर सकता है। किन्तु सेना के कोर्ट की सजा तथा मृत्युदण्ड माफ नहीं कर सकता है।

5. **अपातकालीन शक्ति**- राज्यपाल को अपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है। किन्तु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियाँ राज्यपाल के हाथों में चली जाती है।

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)

Scanned with CamScanner

1. **आंतरांकित प्रश्न**-यह लिखित में पुछे जाते हैं जिस कारण 10 दिन पुर्व सुचना दी जाती है। इसमें पुरक प्रश्न नहीं पुछे जाते हैं।

2. **शुन्यकाल**-12100 से 100 PM – संसद का दुसरा घण्टा होता है। इसमें कोई भी नियम कानुन नहीं लागू होता है। यह नाम भारतीय मीडिया ने दिया है।

3. **Lunch** – 1:00 से 2:00 PM – संसद भोजन IRCTC करवाती है।

Note — Lunch के बाद उन सांसदों को बोलने का मौका दिया जाता है। जिन्हें मौका नहीं मिला था।

⇨ North block में वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय

⇨ South Block में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) है जो अधिक शक्तिशाली है।

⇨ India Gate का निर्माण 1921 में लूटिन ने करवाया था। जो प्रथमविश्वयुद्ध में मारे गए अज्ञात सैनिकों के याद में था।

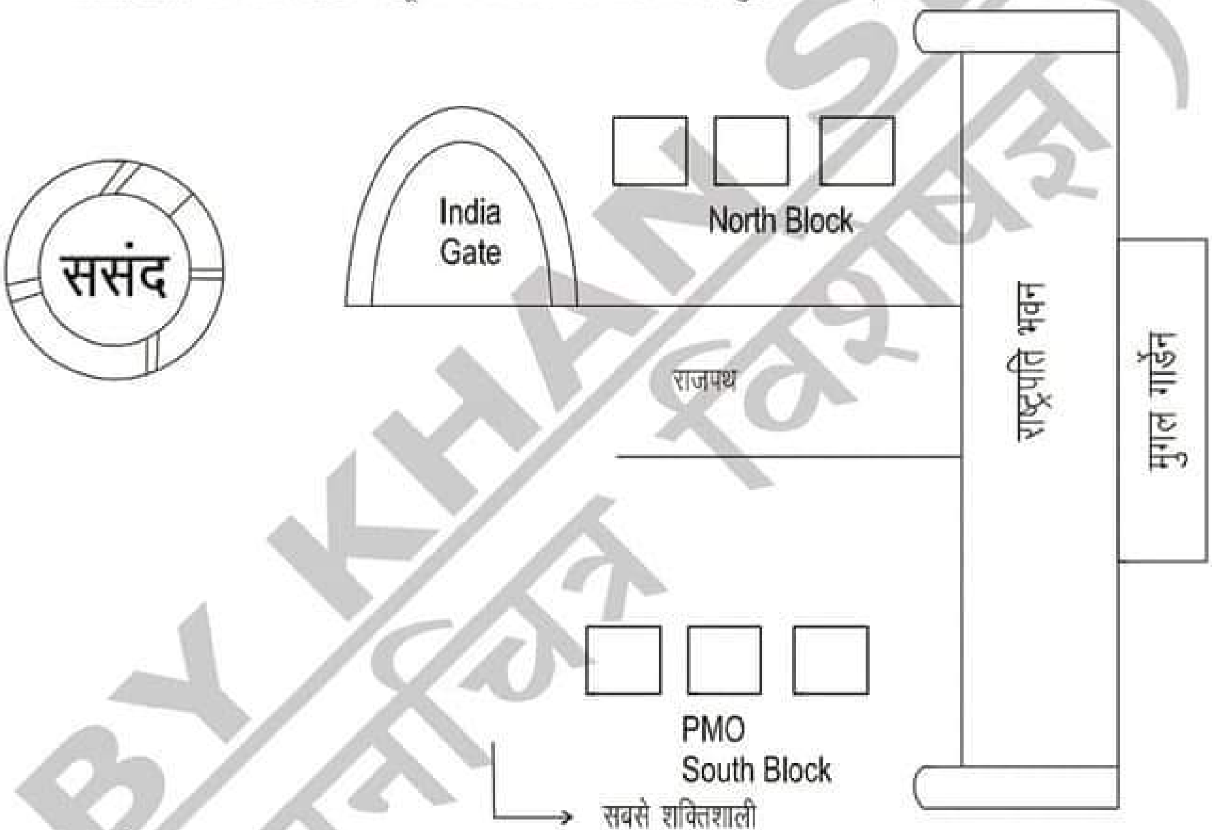

अनुच्छेद-108 —

संयुक्त अधिवेशन-यह तब बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में विवाद हो जाए इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता LS का Speaker करता है।

⇨ तीनों परिस्थितियों मे यह बुलाया जाता है।

1. एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दुसरा सदन पारित न करें।
2. एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दुसरा सदन छः माह से अधिक देर तक रोके।
3. एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दुसरा सदन मानने से इंकार करें।

Remark— संविधान संशोधन तथा धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकती है।

⇨ अब तक तीन बार संयुक्त अधिवेशन बुलाय गया है।

1. दहेज अधिनियम – 1961

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)
CS Scanned with CamScanner

इसके वेतन शक्तियाँ भत्ते CJI के बराबर होता है। किन्तु ये अस्थायी होते हैं।

अनुच्छेद-127 — Ad Juide – इसका अर्थ होता है। "इस उद्देश्य के लिए" तदर्द न्यायाधीश (Ad-Juide) संख्या में कमी हो जाए। तब इसे लाने कि सिफारिस CJI राष्ट्रपति से करते हैं। सिफारिस के आधार पर राष्ट्रपति 25 Hc से Ad-Juide के लिए सिफारिस करते हैं।

Ad Juide का वेतन भत्ता तथा शक्ति SC के जज के बराबर होते हैं। किन्तु ये स्थायी जज नहीं होते हैं।

अनुच्छेद-128 — जब Ad Juide उपलब्ध नहीं हो तो सेवा निवृत्त SC के जज को लाया जाता है।

अनुच्छेद-129 — SC अभिलेख न्यायालय (नजीर) का कार्य करती है। अर्थात् SC का निर्णय किसी अन्य मुकदमें में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि न्याय जल्दी मिल जाए।

अनुच्छेद-130 — SC का स्थान- SC दिल्ली में है। किन्तु CJI के कहने पर राष्ट्रपति इसका खंडपीठ (Branch) किसी अन्य शहर में भी खोल सकते हैं।

SC के कुछ जजों ने मामले की त्वरित सुनवायी के लिए हैदराबाद तथा जम्मू काश्मीर में अस्थायी खण्डपीठ डाला था।

अनुच्छेद-131 —

SC की प्रारम्भिक/मूल अधिकारिता

इसके अंतर्गत ऐसे मामले को रखते है जो केवल SC में सुलझाए जा सकते हैं।

इसमें तीन मुकदमे आते है।

1. केन्द्र राज्य विवाद
2. राज्य-राज्य विवाद
3. एक ओर केन्द्र एवं उसके साथ कुछ अन्य राज्य तथा दुसरी ओर अन्य राज्य विवाद।

Note — राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद भी सीधे SC में जाता है। किन्तु इसे मुल अधिकारिता में शामिल नहीं करते हैं। क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद-71 में है।

अनुच्छेद-132 — HC से SC में अपील करने का अधिकार।

अनुच्छेद-137 — न्यायिक पुनर्वालोकन अर्थात् SC अपने ही फैसले को बदल सकती है।

Eg- SC ने चम्पकन दोहराई राजन मामला (1960) तथा बेरूबरी मामला (1960) में यह प्रस्तावना को सँविधान का अंग नहीं माना, किन्तु केशवानंद भारती मामले में SC में न्यायिक पुनर्वालोकन का प्रयोग करके अपने फैसले को बदल दिया और प्रस्तावना को सँविधान का अंग मान लिया और कहा कि संसद इसमें संबोधन कर सकती है। साथ ही SC ने मूलढ़ाचा का सिद्धांत दिया। कहा कि संसद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जिसमें कि संविधान का मूल ढ़ाचा प्रभावित हो।

इसी कारण आज भी केवल अनुच्छेद-395 है। इसमें A,B,C,D करके जोड़ा गया है।

अनुच्छेद-139 — मुल अधिकार के अलावे किसी अन्य मामले पर रीट निकालना हो तो SC अनुच्छेद-32 का प्रयोग न करके अनुच्छेद-139 का प्रयोग करेगी।

Eg- सरकारी मास्टर पर परमादेश रीट जारी करना हो तो अनुच्छेद-32 के अन्तर्गत होगा।

जब कि रेलवे किसी कर्मचारी पर रीट जारी करना हो तो अनुच्छेद 139 का प्रयोग होगा।

अनुच्छेद-141 — SC का निर्णय भारत के सभी न्यायालय पर बाहय है।

यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की बात नहीं मानता है। तो उसे अवमानना समझकर न्यायालय उसे दण्डित कर देगा।

अनुच्छेद-142 — राष्ट्रपति किसी मुकदमे पर SC से सलाह मांग सकते हैं। लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

Eg- 1993 में राष्ट्रपति डा॰ शंकर दयाल शर्मा ने बाबरी मस्जिद राजजन्मभूमि पर सलाह मांगा। किन्तु न्यायालय ने कोई सलाह नहीं दिया। अर्थात् सलाह देने से मना कर दिया।

Scanned with CamScanner

6. **विवेकाधिकार शक्ति**- इसके अन्तर्गत राज्यपाल बिना किसी की सलाह लिए अपने विवेक करते हैं। यह तब किया जाता है। जब किसी को बहुमत ना मिले। इस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के नेता को CM बना देते हैं। उसे 30 दिनों के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं।

7. **विशेषाधिकार शक्ति**- इसके तहत राज्यपाल को अनुच्छेद-14 के अपवाद स्वरूप कुछ विशेष अधिकार है। राज्यपाल को उसके पद के दौरान अपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर कुलाधिपति होते हैं।

Remark– राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है। तो वे उस विधेयक को या तो एक बार लौटा सकता है। या जेबी बीटो कर सकता है।

जब कि राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार लौटा सकता है।

जेवी बिटो कर सकता है। तथा राष्ट्रपति को भेजने के लिए सुरक्षित रख सकता है। अर्थात् राज्यपाल का विवेकाधिकार शक्ति राष्ट्रपति से अधिक है।

अनुच्छेद-155 — राज्यपाल के नियूक्ति की चर्चा है। इसकी नियूक्ति PM के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।

अनुच्छेद-156 — राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर रहते हैं।

अनुच्छेद-157 — राज्य की योग्यताएँ

1. भारत का नागरिक हो।
2. पागल दिवालिया न हो।
3. लाभ के पद पर न हो।
4. कम-से-कम 35 वर्ष आयु हो।

अनुच्छेद-158 — राज्यपाल के लिए शर्तें-

1. वह विधानमण्डल/संसद का किसी भी सदन का सदस्य न हो।
2. वह उस राजय का निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा हो।

अनुच्छेद-159 — राज्यपाल को शपथ HC के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।

अनुच्छेद-160 — ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। उसे निमंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को बोल सकते हैं।

अनुच्छेद-161 — राज्यपाल की क्षमता शक्ति।

फाँसी सजा नहीं माफ कर सकते।

सैन्य सजा नहीं माफ कर सकते।

अनुच्छेद-162 — राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान विस्तार राष्ट्रपाल करेंगे।

अनुच्छेद-163 — राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगा। जिसके अध्यक्ष CM होंगे।

अनुच्छेद-164 — CM के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे।

CM की कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ-

1. CM राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है।
2. वह विधानमण्डल की सुचना राज्यपाल को देता है।
3. वह किसी मंत्री की नियुक्ति या हटाने की सिफारिस राज्यपाल से करता है।
4. CM राष्ट्रीय विकास परिषद् के सदस्य होते हैं।
5. CM के त्याग या मृत्यु होने से मंत्रीपरिषद भंग हो जाता है। एवं नया CM अपने अनुसार मंत्रिपरिषद बनाता है।
6. CM विभिन्न पदाधिकारियों सम्बंधित सिफारिस राज्यपाल को करता है।

BY KHAN SIR (विशेषज्ञ मार्गदर्शक)

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद-165 — महाधिवक्ता (Advocate General)– राज्य सरकार को कानुनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है यह राज्य सरकार प्रथम विधि अधिकारी होता है।

⇨ यह विधानमण्डल की कार्यवाही में भाग लेता है। किन्तु उसका सदस्य न होने के कारण vote नहीं कर सकता है।

यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त होते हैं। इसकी योग्यता HC के जज के बराबर है।

अनुच्छेद-168 — इसमें विधानमण्डल या विधान भवन की चर्चा है।

⇨ यह राज्य के कानुन बनाने की संस्था है।

⇨ इसके तीन अंग है-विधानसभा, विधानपरिषद्, राज्यपाल।

⇨ विधानमण्डल के दो सदन होते हैं-विधानसभा, विधानपरिषद्

अनुच्छेद-169 — इसमें विधानपरिषद् के सृजन्य (निर्माण) की चर्चा है। जिन राज्यों को VP का निर्माण करना हे। यहाँ की विधान विधानसभा इसका प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी। संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में VP बन जाऐगी। वर्तमान में यह प्रस्ताव राजस्थान सरकार ने पारित कर भेजा है।

अनुच्छेद-170 — इसमें VS की चर्चा है। VS भंग हो सकता है। अत: इसे अस्थाई निम्न सदन कहते हैं।

⇨ इसके बहुमत दल के नेता को CM बनाया जाता है। अत: इसे प्रथम सदन कहते है। इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती है। अत: इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं।

इसका सदस्य बनने के लिए न्युनतम 25 वर्ष आयु होना चाहिए। अत: इसे युवाओं का सदन कहते हैं।

⇨ VS में अधिकतम सीटों की संख्या 500 न्युनतम सीटों कि संख्या 60 होती है।

अनुच्छेद-171 — विधान परिषद् (Legisletive Counsil)– इसकी चर्चा अनुच्छेद-17 में है। इसका विघटन नहीं हो सकता है। अत: इसे उच्च सदन या स्थायी सदन कहते हैं।

इसका चुनाव जनता अप्रत्यक्ष करती है। अत: इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसमें बहुमत दल के नेता को CM नहीं बनाया जाता है। अत: इसे द्वितीय सदन कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए न्युनतम 30 वर्ष होनी चाहिए है। अत: इसे वृद्धों का सदन कहते हैं।

इसके अधिकतम सीटों की संख्या VS के 1/3 होती है।

इसके सदस्यों का चुनाव 5 श्रेणियों द्वारा होता है।

1. एक-तिहाई सदस्य VS चुनती है।
2. एक-तिहाई सदस्य को स्थानीय निकाय (पंचायत) के सदस्य चुनते हैं।
3. 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करते हैं।
4. 1/2 सदस्य को माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सदस्य (शिक्षक) चुनते हैं।
5. 1/2 सदस्य को स्नातक पास (3 साल पूर्व) हो चुके विद्यार्थी चुनते हैं।

Remark– VS के सदस्य को Member of Logeslotive Acemfly [MLA] तथा VP के सदस्य को Member of Legesletive Council [MLA] कहते हैं।

अनुच्छेद-172 — सदनों कि अवधि-VP एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जबकि VS का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

अनुच्छेद-173 — इसमें विधानमण्डल के सदस्यों कि योग्यता है।

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. पागल दिवालिया न हो।

BY KHAN SIR (मानचित्र विद्यालय)

Scanned with CamScanner

3. किसी लाभ के पद पर ना हो।

4. VS के लिए Min आयु 25 वर्ष तथा

VP के लिए Min आयु 30 वर्ष आयु हो।

अनुच्छेद-182 — इसमें VP के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। इन्हें VS के सदस्य चुनते हैं। VS के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं।

⇨ VP का सभापति उपराज्यपाल नहीं होता है।

High Court (उच्च न्यायालय)

⇨ SC की व्यवस्था USA से लिया गया है जबकि भारत में पहली बार HC कि स्थापना 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में खोला गया।

HC का वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।

अनुच्छेद-214 — इसमें HC के गठन की चर्चा है। प्रत्येक राज्य का एक HC होगा।

यदि राज्य बहुत बड़ा है। तो एक ही राज्य में उसे HC के खण्डपीठ (Branch) खोले जाएंगे।

Eg- UP = लखनऊ + इलाहाबाद

छोटे राज्य का एक संयुक्त HC हो सकता है।

Eg- गुवहाटी

⇨ सर्वाधिक जज इलाहाबाद HC में [160]

⇨ जबकि राज्यों का क्षेत्राधिकार गुवाहाटी HC का है।

⇨ HC में राज्यों कि संख्या वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है। जब कि SC में जजों कि संख्या वृद्धि का अधिकार संसद को है।

⇨ HC में जज बनने के लिए DC में 10 साल वकिल या 5 साल जज होना चाहिए। साथ ही राज्यपाल के नजर में कानुन का अच्छा जानकार होना चाहिए।

⇨ HC में जजों की नियुक्ति सम्बंधी सिफारिश SC का मुख्य न्यायाधीश HC का मुख्य जज एवं राज्यपाल मिलकर राष्ट्रपति को करते हैं।

⇨ HC के जज को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। किन्तु HC का Juide अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं।

⇨ ये 65 वर्ष के आयु तक अपने पद पर रहते हैं। इससे पहले भी इन्हें संसद के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।

Remark– SC के जज रामास्वामी के विरूद्ध संसद में महाभियोग चला जबकि पंजाब, हरियाणा, HC के जज रंगास्वामी के विरूद्ध महाभियोग चला।

किन्तु ये दोनों महाभियोग पारित न हो सका।

⇨ SC के जजों को केन्द्रिय संचित निधी से तथा HC एवं DC के जजों का वेतन राज्य को संचित निधी से दिया जाता है।

अनुच्छेद-226 — के तहत HC भी 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है।

⇨ DC के मुकदमे की अपील HC में की जा सकती है। किन्तु सिधा मुकदमा HC में नहीं होता है।

\# कुछ मुकदमे जो सीधे HC में जा सकते हैं।

1. MP तथा MLA का विवाद
2. Company विवाद
3. विवाह या तलाक
4. वसीहत (उत्तराधिकारी) का मामला
5. मुल अधिकार का मामला (अनुच्छेद-226)

Scanned with CamScanner

6. कर्मचारियों के संवैधानिक स्थिति की जाँच

7. जनहित याचिका (PIL) (Public Intrest Littigodion)

⇨ भारत में कुल 25 HC है। दिल्ली एक मात्र केन्द्रशासित प्रदेश है जिसका अपना HC है।

⇨ District Court की चर्चा अनुच्छेद-233 में है इसका जज बनने के लिए राज्य न्यायिक सेवा की परिक्षा देनी होती है। या HC के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राज्यपाल नियुक्त कर सकता है।

✶ **दिवानी मुकदमा**-धन या जमीन से सम्बंधित मुकदमा दिवानी मुकदमा कहलाता है।

इसे Court में सुलझाया जाता है।

Eg- जमीन, विवाद, दहेज विवाद बसिहत मामला इत्यादि।

Remark– जब सरकार का पैसा लुटा जाता है तो उसे राजस्व कहते हैं।

Eg- Tax चोरी, बिजली चोरी इत्यादि।

फौजदारी मुकदमा-मार-पिट से संबंधित मुकदमा को फौजदारी मुकदमा कहते हैं।

⇨ इसे सत्र-न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है।

Eg- हत्या, डकैती, लुट, धमकी, अपहरण, रेप, इत्यादि।

लोक अदालत-इस अदालत में मुकदमे पर फैसले नहीं सुनाए जा सकते हैं। बल्कि आपस में समझौता करा दिया जाता है।

लोक अदालत के समझौते या फैसले के विरूद्ध HC या SC में अपील नहीं किया जा सकता है।

✶ **परिवार न्यायालय (Family Court)—** इसकी स्थापना सन् 1984 में हुई थी। इसमें छोटे-मोटे परिवारिक मुद्दे जाते हैं।

Eg- सास-बहु विवाद इत्यादि।

✶ **जनहित याचिका (Public Interest Litigaution)—** इसकी शुरूआत 1980 में अमेरिका से हुई।

भारत में इसकी शुरुआत 1986 में CJI PN भगवती कार्यकाल में हुई।

यह केवल SC या HC में किया जा सकता है।

Eg- वैज्ञानिकों का वेतन वृद्धि मुकदमा।

भाग-07

अनुच्छेद-238 (समाप्त)

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)

Scanned with CamScanner

भाग-VIII अनु. 239-242

केन्द्रशासित (Union Teritory) : -

★ केन्द्रशासित प्रदेशों में केन्द्र का सीधा नियंत्रण रहता है।
यहाँ के राज्य सरकार को समिति शक्तियाँ ही प्राप्त रहती है।
भारत में कुल 9 केन्द्रशासित प्रदेश है-
1. जम्मु-कश्मीर 2. लद्दाख 3. चंडीगढ़ 4. दिल्ली 5. दमन-द्वीप
6. दादरनगर हवेली 7. पांडिचेरी 8. लक्ष्यद्वीप 9. अण्डमान-निकोबार

★ दिल्ली एक मात्र प्रदेश है, जिसका अपना H.C. है। केन्द्रशासित में इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है।

★ सबसे बड़ा केन्द्रशासित अण्डमान-निकोबार है।

★ चार केन्द्रशासित प्रदेश समुद्र के किनारे हैं-
1. दमन-द्वीप 2. पांडिचेरी 3. लद्दय द्वीप 4. अण्डमान निकोबार

★ तीन ऐसे केन्द्रशासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा है, जिस कारण मुख्यमंत्री बैठते हैं। उनपर नियंत्रण उपराज्यपाल का होता है।
1. जम्मू काश्मीर 2. दिल्ली 3. पांडिचेरी

Remarks : जिस केन्द्रशासित प्रदेश की जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ विधानसभा, मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल तीनों होते हैं, जबकि कम जनसंख्या वाले केन्द्रशासित प्रदेश में प्रशासक होते हैं।

★ **केन्द्रशासित प्रदेश बनाये जाने के कारण :-**

I. अत्यधिक दूर हो।
eg. :- (i) अण्डमान निकोबार (ii) लक्ष्यद्वीप

II. बहुत छोटा हो।
eg. :- (i) दादरनगर हवेली (ii) लमन और द्वीप

III. संस्कृति अलग हो।
eg. :- पांडिचेरी

IV. विवादित हो।
eg. :- चण्डीगढ़

V. राष्ट्रीय महत्व का हो।
eg. :- (i) दिल्ली (ii) जम्मु-कश्मरी 3. दद्दाक

भाग-IX (अनु. 243-243 (ण)

पंचायत

★ 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया।

★ 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया।

★ इन दोनों ही कार्यक्रम की जाँच के लिए 1957 बलवंत राय मेहता (BRM) समिति का गठन कियागया।

★ इसी समिति के शिफारिश के आधार पर 02 अक्टूबर 1957 को राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती राज्य प्रारंभ हुआ।

★ बलवंत राय मेहता B.R.M समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत बनाया गया।
(i) गाँव स्तर पर - ग्राम पंचायत (ii) ब्लॉक स्तर पर - पंचायत समिति
(iii) जिला स्तर पर - जिला परिषद्

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)

Scanned with CamScanner

Remarks :- 1. जिस राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ पंचायत सतिति नहीं बनायी जाएगी।

2. पं. बंगाल में चार स्तरीय पंचायत है।

3. मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड में एकस्तरीय पंचायत है।

4. पंचायतों के वित्तीय स्थिति के लिए सुधार के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं।

★ 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया इसने दो स्तरीय पंचायत की बात कही-

(i) गाँव स्तर पर - मंडल पंचायत

(ii) जिला स्तर पर - जिला परिषद्

★ पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया। इस संशोधन के बाद पंचायतों को अपनाने वाला पहला राज्य कर्नाटक था।

★ दिल्ली में पंचायत नहीं है।

★ पंचायत की सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

★ पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। जबकि बिहार में 50% सीट आरक्षित है।

★ पंचायतों का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष होता है।

★ पंचायती समितियों में गणपुर्ति 1/2 होती है।

★ पंचायती सदस्यों को हटाने के लिए जिला पंचायत अधिकारी को 15 दिन पूर्व सूचना देनी होती है और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है।

★ मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को देता है।

★ पंचायत सदस्यों को खाली सीटों को 6 महिने के अंदर चुनाव द्वारा भरा जाता है। यह बचे हुए कार्यकाल के लिए आती है।

★ पंचायतों के सभी स्तर का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करती है।

★ पंचायतों के वित्तीय स्थिति के जाँच के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं।

★ 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल, 1973 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों को 29 विषय दिये गए।

★ पंचायतों की बैठक दो महिने में एक बार होना अनिवार्य है।

पंचायती सदस्य :-

न्यायपालिका = पंच → सरपंच

कार्यपालिका = वार्ड सदस्य → मुखिया

Police = चौकीदार

राज्य सरकार = ग्राम सेवक, VDO, BDO, जिला पंचायत अधिकारी

लेखा-जोखा = लेखपाल / पटवारी / कानून गो

जमीन का नाप = अमीन

पंचायतों से संबंधित आयोग :-

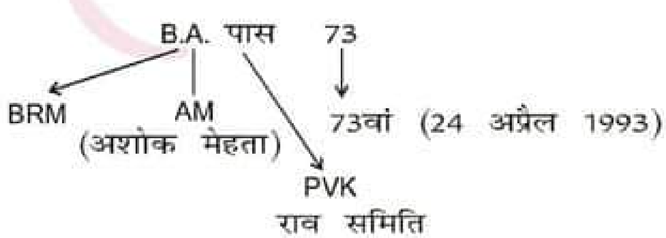

Scanned with CamScanner

Remark : पंचायतों के चुनाव कराने के समय का निर्णय राज्य सरकार लेती है। जबकि पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करती है।

Remark : पंचायती राज (स्थानीय स्वशासन) का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है।

Note : हरियाणा के पंचायत को खाप पंयचायत कहते हैं।

भाग-IX (क)

नगरपालिका

अनुच्छेद 243(ट-य-छ)

अनुच्छेद - 12

74वां 1 जून 1993

- ★ **नगरपालिका** - यह शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन का दायित्व संभालता है।
- ★ इसे 74वां संशोधन (1 जून 1993) को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया।
- ★ नगरपालिका भी तीन स्तरीय होती है-

नगरपालिका

- छोटी शहर
  नगर पंचायत
  (Chair Person)
- मध्यम शहर
  नगर परिषद्
  अध्यक्ष
  e.g. नवादा, जमुई, किशनगंज
- बड़ा शहर
  नगर निगम
  (Municipal Corporation)
  (मेयर = महापौर)
  e.g. Patna = PMC
  Delhi = MCD
  (पुराना) मद्रास = MMC
  मुम्बई = BMC

Remark : 1. नगर पालिका को 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है।

2. नगर पालिका की अवधि अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष होती है।

3. नगर पालिका के तीनों चरणों में SC, ST तथा महिलाओं की आरक्षण की चर्चा है।

Note : मेयर (महापौर) के कार्यों को आसान करने के लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड काउंसलर (Councilor) बाड पार्षद होता है।

e.g. Patna = मेयर (महापौर) - सीता साहू

मुसल्लहपुर हाट = वार्ड Councilar (वार्ड पार्षद) - इंद्रद्विप कुमार चंद्रवंशी

स्थानीय स्वशासन

- ★ इसका अर्थ होता है, स्थानीय लोगों द्वारा शासन।
- ★ सबसे पहले स्वशासन चोल राजाओं ने प्रारंभ किया।
- ★ लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को व्यवस्थित ढंग से लागु किया।
- ★ स्थानीय स्वशासन सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए होती है।

Scanned with CamScanner

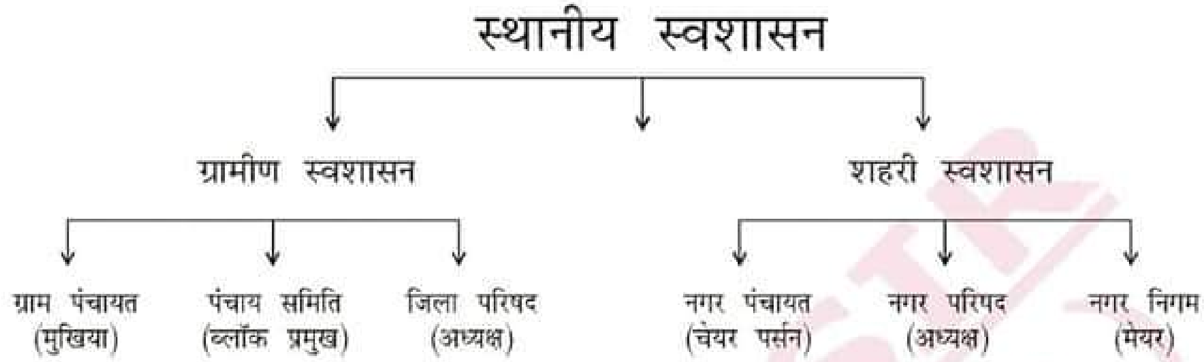

भाग-IX (ख)

सहकारिता अनु. 243 (य-ज-यन)

- ★ बहुत से स्थानीय लोग मिलकर जब किसी संस्था या Company को बनाते हैं, तो उसे सहकारिता कहते हैं।
- ★ यह स्थानीय लोगों द्वारा बना होता है और स्थानीय लोगों की ही सहायता करता है।
- ★ सरकार इन संस्थाओं पर विशेष ध्यान देती है। इन संस्थाओं पर Tax कम लिए जाते हैं।

भाग-X ( )

SC/ST प्रशासन (1989)

अनुच्छेद-244

- ★ SC/ST Act 1989 के तहत किसी दलित व्यक्ति के शिकायत पर बिना जाँच के ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।
- ★ अनुच्छेद 244 (क) में असम राज्य के जनजाति की प्रशासन की चर्चा है।

भाग-X (अनुच्छेद 245-263)

☛ **केन्द्र राज्य संबंध**

- ★ अनु. 249 : - राज्य सूची के विषय में एक वर्ष के लिए कानुन बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को दे देती है।
- ★ अनु. 253 :- संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है। बिना उस राज्य के अनुमति।
- ★ अनु. 262 :- नदियाँ राज्यसूची का विषय है अत: दो राज्यों के बीच उत्पन्न नदि विवाद को सुलझाने के लिए retired जजों का एक समूह बनाया जाता है, जिसे न्यायधीकरण या (tribunal) कहते हैं।

  e.g. कावेरी जल विवाद (कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडीचेरी महानदी जलविवाद (छत्तीसगढ़, ओडिसा)

  Remark : नदियों को संघ सूची में होना चाहिए।
- ★ अनु. 263 : - अंतर्राज्यी परिषद (अंतर्राज्य परिषद)

  राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए इसका गठन किया जाता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ Cabinet मंत्री उसके सदस्य होते हैं। PM इसके अध्यक्ष होते हैं, साल में इसकी तीन बैठक होती है।

Scanned with CamScanner

भाग-XII

वित्त समिति संविदा (Tax)

- अनु. 265 : - बिना संसद में पारित विधेयक के Tax नहीं लिया जा सकता है।
- अनु. 266 : - भारत की संचित निधि
- सरकार का समस्थ धन संचित निधि के रूप में RBI के पास जमा रहता है।
- संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद को विनियोग विधेयक पारित कराना होता है।
- केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन संचित निधि से दिए जाते हैं।
- महान्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है।

अनुच्छेद (267) - अकास्मिक निधि

- किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक निधि बनाया जाता है।
- आकस्मिक निधि से धन राष्ट्रपति निकालते हैं। आकस्मिक निधि से हमेशा 500 करोड़ रु. रहना चाहिए।

अनुच्छेद (275) - विशेष राज्य (विशेष अनुदान)

- जिन राज्यों में प्राकृतिक आपदा तथा भौगोलिक विषमता होती है तथा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप होते हैं, उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इन्हें लगभग 80% लौटा दिया जाता है।

अनुच्छेद (280) - वित्त आयोग

- यह केन्द्र तथा राज्य में कर का बटवारा करता है। इसमें 4 सदस्य तथा एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष S.C. के जज के बराबर योग्यता रखता है।
- अध्यक्ष अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होता है, इसका कार्यकाल '5' वर्षों का होता है।
- अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है।
- पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष K.C. नियोगी।
- 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष Y.B. रेड्डी
- 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष N.K. सिंह
- वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं।

Note : वर्तमान में राज्यों को उनके कुल Tax का 42% लौटा दिया जाता है।

अनुच्छेद (292) - केन्द्र सरकार विदेशी ऋण ले सकती है, जो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। सरकार बदलने पर भी यह ऋण चुकाने पड़ते हैं।

अनुच्छेद (293) - राज्य सरकार भी विदेशी ऋण ले सकती किन्तु उसे केन्द्र से अनुमति लेनी होगी।

अनुच्छेद (297) - भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाली मूल्यवान वस्तुएँ (जैसे-सोना, पेट्रोलियम, इत्यादि) पर केन्द्र सरकार का अधिकार होगा। किन्तु भूमि से गैर कानूनी वस्तु या खतरनाक वस्तु व्यक्ति का होगा। जैसै-हथियार, शराब, विदेशी मुद्रा इत्यादि।

Remark : वित्त आयोग तथा अंतराज्य परिषद के अध्यक्षों की नियुक्त प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।

अनुच्छेद 300 (क)-सम्पत्ती का अधिकार

- जो अभी कानूनी या विधिक अधिकार हो गया है। कानुनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किन्तु सरकार छीन सकती है।

CS Scanned with CamScanner

भाग-XIV अनु. (308 - 323)

संघ एवं राज्य लोक सेवा

- ★ लॉर्ड मैकाले के शिफारिश पर 1855 में डलहौजी के शासन काल में लंदन में Civil सेवा की परीक्षा आयोजित कि गई तब इसे Indian Civil Service (ICS) कहा जाता था।
- ★ 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में Civil सेवा आयोग का गठन किया गया।
- ★ भारत में पहली बार Civil सेवा की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में किया गया। (लॉड रीडिंग)
- ★ Civil सेवकों के पद की रक्षा की चर्चा 311 में है, इसके अनुसार Civil सेवकों को बिना किसी ठोस कारण के नहीं हटाया जा सकता है।
- ★ Civil सेवकों को पद से हटाने की चर्चा अनु. 317 में है इसके अनुसार इन्हें हटाने के लिए न्यायालय में कदाचार (Curruption) का मुकदमा चलाना होगा और उस आधार पर उन्हें राष्ट्रपति हटाएंगे।
- ★ **अनु. 312** : - अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने का अधिकार राज्यसभा संसद को देती है और दोनों मिलकर अखिल भारतीय सेवाक का सृजन (निर्माण) करते हैं।

	सेवा	नियुक्ति	वेतन	क्षेत्राधिकार	उदाहरण
1.	अखिल भारतीय सेवा	केन्द्र	केन्द्र	भारत	IPS, IAS, IFS
2.	केन्द्रीय सेवा	केन्द्र	केन्द्र	भारत	Rail, Bank, PO, SSC, IFC
3.	राज्य सेवा	राज्य	राज्य	राज्य	Police, BSSC, BPSC (PCS)

- ★ **अनु. 312** : - इसमें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) तथा राज्य सेवा आयोग (BPSC / PCS) की चर्चा है।
- ★ इनकी अध्यक्ष की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति तथा राज्यपाल करते हैं।
- ★ यह 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष कार्यकाल तक रहते हैं।
- ★ इनका मुख्य कार्य विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं को आयोजित करना है।

Remark : संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य जब पद से त्यागपत्र दे देते हैं या हटाया जाता है, तो वे कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं।

- ★ संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) राज्य लोक सेवा आयोग (PCS) को दिशा निर्देश देती है। तथा उनके वार्षिक Report की जाँच करती है।
- ★ राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य पदो उन्नति (Promotion) के बाद संघ लोक सेवा आयोग में जाते हैं अर्थात ये दोनों आपस में संबंधित है।
- ★ संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक Report राष्ट्रपति को सौपती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक Report राज्यपाल को सौपती है ये अपना त्यागपत्र क्रमशः राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को देते हैं इन्हें वेतन संचित निधि से दिया जाता है।

भाग-14 (क) न्यायधिकरण (Tribunal)

(अनु. - 323 (क, ख)

- ★ विवादों के त्वरित निपटरा के लिए Tribunal का गठन किया जाता है।

e.g. : - पर्यावरण संबंधि विवाद सुलझाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal) NGT करते हैं। इसके अध्यक्ष आदर्श कु. गोयल है। (वर्तमान)

Scanned with CamScanner

भाग-15 (निर्वाचन / चुनाव)
(अनु. - 324 - 325)

- **अनु. (324) :** - इसमें चुनाव आयोग की चर्चा है। यह एक संवैधानिक पद है।
- ★ प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यी था किन्तु तारकोंडे समिति के सिफारिश पर 61वां संशोधन हुआ और चुनाव आयोग को 3 सदस्यी बना दिया गया । तीनों सदस्य की शक्तियाँ समान होती है।
- ★ इसी संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

Note : - वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत एक राजनीतिक अधिकार है।

- ★ निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।
- ★ इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक होता है।
- ★ यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, इन्हें हटाने के लिए महाभियोग्य जैसी प्रक्रिया लानी होती है।
- ★ निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति, लोकसभा-राज्यसभा विधान सभा तथा विधानपरिषद का निर्वाचन करती है।

Remark : - PM तथा CM का निर्वाचन नहीं नियुक्ति होती है, जबकि पंचायत तथा नगरपालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराती है।

- ★ जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी DM होता है।
- ★ निर्वाचन आयोग समय-समय पर मतदाता सूची, **Voter Card** बनाती है।
- ★ यह जाति धर्म या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम न जोड़ सकती है और न हटा सकती है।
- ★ निर्वाचन आयोग आचार संहिता की घोषणा करती है, जो चुनाव से संबंधित नियम कानुन होता है।
- ★ चुनाव समाप्त होने के 48 घंटा पहले या प्रारंभ होने के 36 घंटा पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है।
- ★ कोई सदस्य यदि आयोग्य है और वह निर्वाचित हो चुका है तो उसकी अयोग्यता की जानकारी निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल को दे देते हैं और वे ऐसे सदस्य को हटा देते हैं।

- **आम चुनाव :-** जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेती है तो उस समय हुआ चुनाव आम चुनाव कहलाता है। यह पूरे 5 वर्ष के लिए होता है।
  जैसे- 2014, 2019 की लोकसभा
- **मध्यवर्ती चुनाव :-** जब कोई सरकार अपनी 5 वर्ष की कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, तो उसके स्थान पर कराया गया चुनाव मध्यवर्ती चुनाव कहलाता है। यह पुरे पाँच वर्ष के लिए होता है।
- **उप चुनाव :-** किसी सदस्य का सीट खाली होने पर उसके स्थान पर कराया गया चुनाव उप-चुनाव कहलाता है, यह बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है।
- **प्रॉक्सी मतदान :-** सैन्य कर्मचारी या विदेश में कार्यरत अधिकारी जब अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मतदान के लिए कहते हैं, तो उसे प्रॉक्सी मतदान कहते हैं।
- **प्रत्यावर्तन का अधिकार :-**
- ★ यह एक विशेष प्रकार का अधिकार है, जिसके तहत जनता चुने गए नेता को कार्यकाल पूरा होने से पहले मतदान के माध्यम से वापस बुला सकती है, यह केवल मध्यप्रदेश में लागू है और वे भी पंचायत स्तर पर।
- ★ किसी दल के Party को चुनाव चिन्ह देना, क्षेत्रीय दल घोषित करना, राष्ट्रीय दल घोषित करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है।
- **क्षेत्रीय दल के लिए शर्त्तें :-**
- ★ क्षेत्रीय दल के लिए तीन शर्त्तें हैं, किसी एक शर्त्त को पूरा करने पर भी उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा।

Scanned with CamScanner

1. उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम दो सीट।
2. उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीट
3. उस राज्य में डाले गए कुल Vote का 80% Vote.

राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्त्तें :-

1. एक ही राजय में लोकसभा की 11 सीटें।
2. एक ही राज्य में लोकसभा की 2% सीट।
3. तीन अलग-अलग राज्यों में कुल 4 सीट।

इनमें से कोई एक शर्त्त पुरा करने पर राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा।

★ राष्ट्रीय दल घोषित हो जाने के बाद उस पार्टी को स्थायी चुनाव चिह्न सरकारी आवास तथा सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। :-

राष्ट्रीय दल (NATIONAL PARTY)

1. काँग्रेस (185) - 4.0 ह्युम - पंजा
2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)- 1925 - M.N राय - धान काटता किसान
3. मार्क्स वादी कम्यूनिस्ट पार्टी (माकपा)- 1964 - PA डांगे - हस्वा हथौड़ी
4. भारती जनता पार्टी (BJP)- 1980 - अटल बिहारी वाजपेयी-कमल
5. बहुजन समाज पार्टी (बसपा)- 1984 - कासीराम - हाथी
6. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP)- 1992 - शरद पवार - टेबल घड़ी

दल-बदल

दल-बदल निरोध कानून :-

★ इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे।

★ दल-बद को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया।

Note : दल बदल कानून निर्वाचित आयोग के सिफारिश पर अध्यक्ष तथा सभापति लगाते हैं। जिस व्यक्ति पर दल-बदल का कानून लग जाता है। उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है।

निम्न परिस्थितियों में दल-बदल कानून लगता है :-

(i) यदि कोई अपनी पार्टी को बदल कर दूसरी पार्टी को Join कर ले।
(ii) यदि निर्दलीय उम्मीदवार किसी पार्टी का सदस्य बन जाए।
(iii) यदि पार्टी की सदस्यता त्यागकर दूसरी पार्टी Join कर ले।
(iv) यदि पार्टी के दिशा-निर्देश के विपरीत मतदान करे।
(v) यदि मतदान के समय वह अनुपसीत रहे और 15 दिन के अंदर पार्टी अध्यक्ष उसे माफ न करे।

निम्नलिखित परिस्थितियों में दल-बदल कानूनी नहीं लगता है :-

(i) यदि पार्टी का गठबंधन हो जाए तो
e.g. — NDA और UPA.
(ii) यदि पार्टी ने ही उस सदस्य को ही निकाल दिया हो, तो
e.g. — शत्रुघन सिंहा।
(iii) यदि 1/3 सदस्य पार्टी को छोड़कर निकल जाए तो

Scanned with CamScanner

(iv) यदि 1/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए।

(v) यदि दो या अधिक पार्टियों का आपस में विलय हो जाए तो

Remark :- दल-बदल कानून केवल चुनाव जीते हुए व्यक्ति पर लगता है न कि चुनाव हारे हुए व्यक्ति पर

बैलेट पेपर

- ★ भारत में मतदान के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता था जिसे मतदान पेटी में जमा किया जाता था। किंतु इससे गिनती में बहुत अधिक समय लग जाता था। जिस कारण Electronic Votting Machine (EVM) का प्रयोग किया गया।
- ★ पंचायत तथा नगर-पालिका के चुनाव में आज भी बैलेट पेपर का प्रयोग होता है।
- ★ EVM का पहला प्रयोगिक परिक्षण 1982 में केरल के उपचुनाव में हुआ था।
- ★ EVM का व्यापक प्रयोग 1998 के विधान सभा के चुनाव में हुआ। (राजस्थान)
- ★ 2004 के लोकसभा के चुनाव में EVM का प्रयोग पूरे देश में हुआ।
- ★ 2013 में Non of the above (NOTA) का प्रयोग किया गया। (छत्तीसगढ़ में)
- ★ EVM मशीन में एक अलग से VVPAT (Voter Verification paper Audit trial) का प्रयोग किया गया।
- ★ इसका प्रथम प्रयोग 2017 से प्रारंभ हुआ। यह मतदान के बाद मतदाता को इस बात की जानकारी देता है, कि वह किस प्रत्याशी को वोट दिया है।
- ★ वर्तमान VVPAT के M-4 वर्जन (verson) (संस्करण) का प्रयोग हो रहा है।
- ★ मतदान की स्याही Silver Nitrate की होती है।
- ★ 25 Jan को मतदान दिवश मनाया जाता है।

भाग-16

अनुच्छेद 230-342

कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान :-

- ★ 330 → L.S में SC/ST के सीटों का आरक्षण।
- ★ 331 → L.S में Angle Indians
- ★ 332 → V.S में SC/ST
- ★ 333 → V.S में Angle Indians
- ★ 334 → L.S में SC/ST = 2020
- ★ 335 → नौकरी या सेवा तथा Promotion में SC/ST
- ★ 336 → सेवा तथा Promotion में Angle Indian
- ★ 337 → Angle Indian के लिए शैक्षणिक आरक्षण
- ★ 338 → SC आयोग [7 = सदस्यी]
- ★ 339 → SC + ST प्रशासन तथा कल्याण का कार्य करना केन्द्र का कर्त्तव्य होगा।
- ★ 340 → पिछड़ा वर्ग आयोग
  - → I. काका करलेकी समिति
  - → II. मंडल आयोग (मोरारजी देसाई के समय जनतापार्टी)
    - → रिपोर्ट-वी.पी. सिंह के समय

OBC → 27%................

CS Scanned with CamScanner

EBC

↓ OBC का दो प्रकार

कृमिलेयर
1 year = 8 lakh ↑

नन–कृमिलेयर
1 year = 8 lakh ↓

★ 341 = SC
★ 342 = SC (कौन Cast को SC तथा ST में शामिल किया जाना है राष्ट्रपति का काम है, संसद के सलाह पर)

★ ब्रिटिश काल में भारत के जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया था। अंग्रेजों ने इनकी जमीनें छीन ली थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 31 Aug 1952 को इन्हें अपराधी के श्रेणी से हटा दिया जिस कारण ये जनजाती 31 Aug. को स्वतंत्रता दिवश मनाते हैं।

अनु॰-330 → L.S. में SC/ST के सीट का आरक्षण ।

(SC = 84 सीट, ST = 97 सीट)

★ अनु॰- 331 → L.S. में दो Angle Indian को राष्ट्रपति मनोनित करेंगे।
विधानसभा में SC/ST के सीटों का आरक्षण।

★ अनु॰- 332 → विधान सभा में एक Angle Indian को राज्यपाल मनोनित करते हैं।

★ अनु॰- 333 → विधान सभा में Angle Indian को राज्पाल मनोनित करते हैं।

★ अनु॰- 334 → L.S तथा V.S में SC/ST का आरक्षण 2020 तक बना रहेगा।

★ अनु॰- 335 → नौकरी तथा प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण

★ अनु॰- 336 → नौकरी तथा प्रमोशन में Angle Indian को आरक्षण

★ अनु॰- 337 → Angle Indian को शैक्षणिक अनुदान (scholorship)

★ अनु॰- 338 → SC आयोग → इसका गठन 65वां संशोधन 1990 द्वारा किया गया यह 7 सदस्यी है।

★ अनु॰- 338(क) → ST आयोग → इसका गठन 89वां संशोधन 2003 द्वारा किया गया यह 5 सदस्यी है।

★ अनु॰- 339 → SC तथा ST दोनों के प्रशासन तथा कल्याण 'केन्द्र' का कर्त्तव्य होगा।

Remark:– SC तथा ST आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के 6 सलाह पर राष्ट्रपति 3 वर्ष के लिए करते हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को शौंपती है। आयोग का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्ति रखता है।

★ अनु॰-340 :- यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी शिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है।

★ पहला पिछला वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेकर थे।

★ दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1879 में जनता पार्टी के मोरारजी देशाई ने गठित किया।

★ दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात मंडल आयोग ने OBC को 27% आरक्षण की बात कही।

★ मंडल आयोग के शिफारिश को 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागु किया।

★ 1992 में Suprime Court ने कहा कि OBC को आरक्षण आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने पर दिया जाय अर्थात् Economicat Backword Cast (EBC) के आधार पर।

★ Suprime Court ने इसके लिए OBC में दो श्रेणियाँ बना दी–

1. **कृमिलियर** :- इसमें वैसे OBC आते हैं, जिसके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से अधिक है। इन्हें मंडल आयोग का 27% आरक्षण नहीं दिया जाता है।
2. **Non-Crimilare** :- इसमें वैसे OBC आते हैं, जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है, इन्हें मंडल

Scanned with CamScanner

आयोग के 27% आरक्षण को दिया जाता है।

★ OBC को BC–I तथा BC–II में भी बाँट सकते हैं।

★ S.C. ने किन्नर या हिजरा को Third Gender में रख दिया और 2014 में उन्हें OBC जाति में रखा गया।

SC → Shedual Cast

ST → Shedual Tribs

OBC → Other Backword Cast

EBC → Economical Backword Cast

BC–I → Backword Cast–I

BC–II → Backword Cast–II

अनु॰–341 → किसी जाति को राष्ट्रपति SC जाति घोषित कर सकते हैं।

अनु॰–342 → किसी जाति का राष्ट्रपति ST जाति (अनुसूचित जनजाति) घोषित कर सकते हैं।

Remark :– राष्ट्रपति द्वारा घोषित किसी जाति को SC/ST (श्रेणी) जाति को बाहर निकालने का अधिकार संसद को है।

Note :– अनुसूचित जनजाति (ST) का निर्धारण सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होता है।

1. सबसे पुरानी जनजाति – यरबा जनजाति
2. सबसे बड़ी जनजाति – गोंड
3. सबसे खतरनाक जनजाति – सेंटलीन
4. दिवाली को शोक के रूप में → थारू जनजाति
5. सर्वाधिक SC → U.P.
6. सर्वाधिक ST → M.P.
7. अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक घनत्व → पंजाब
8. मातृसंतात्मक → खासी नगर जनजाति

सामाजिक सुधार अधिनियम :-

(i) बंधुआ मजदूर उन्मूलन = 1976

(ii) बाल श्रम उन्मूलन = 1986

(iii) अल्पसंख्यक आयोग = 1992

(iv) पिछड़ा वर्ग आयोग = 1993

(v) नि: शक्त जन आयोग = 1995

Remark :– अल्पसंख्यक का निर्धारण धर्म तथा भाषा के आधार पर किया जाता है। जबकि आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है।

भाग-17

राजभाषा

अनुच्छेद 343–351

राष्ट्रभाषा = देश की सबसे लोकप्रिय भाषा

e.g. Hindi → India, Urdu → Pak

राज्यभाषा = राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा

★ हर राज्यों की लोकप्रिय भाषा अलग-अलग हो सकता है।

Scanned with CamScanner

e.g. महाराष्ट्र = मराठी

गुजरात = गुजराती

बिहार = हिन्दी

<u>राजभाषा</u> = Official Language = दरबारी = Paper work

→ संघ की राजभाषा –हिन्दी
(सहायक राजभाष-अंग्रेजी)

→ राज्य की राज भाषा
नागालैण्ड – अंग्रेजी
बिहार – हिन्दी

राजभाषा (Official Language) :-

- ★ इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता था। जिस भाषा में कामकाज या Paper work की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं।
- ★ संघ की राजभाषा अलग है। राज्य की राज्यभाषा अलग-अलग है।
- ★ 14 sept 1949 को आयंगर formula के आधार पर Hindi को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसी कारण 14 sept को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
- ★ हिंदी को राष्ट्रभाषा सर्वप्रथम नर्मदा जी ने कहा।
- ★ हिंदी को राजभाषा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया।
- ★ भारत में 44% लोग हिंदी बोलते हैं।

Remark :– संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता है किंतु हिंदी को राजभाषा (Official Language) घोषित करता है।

अनु॰-343 → संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है।

अनु॰-343 → राजभाषा आयोग की चर्चा है।

- ★ प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे।

अनु॰-345 → राज्य की राजभाषा की चर्चा है।

- ★ राज्यों की राजभाषा अलग-अलग है।
- ★ नौ राजयों की राजभाषा हिंदी है।
- ★ मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड की राजभाषा Eng. है।

Remark :– English संघ (केन्द्र) तथा सभी राज्यों के लिए सहायक राजभाषा है।

- ★ बिहार की राजभाषा हिंदी तथा Urdu है।
- ★ जम्मु काश्मीर की राजभाषा Urdu तथा Hindi है।
- ★ उत्तराखंड की राजभाषा Hindi तथा संस्कृत है।
- ★ अनु॰-346 :– पत्रदी या पत्राचार (Communication) की राजभाषा Hindi या अंग्रेजी होगी।
- ★ अनु॰-347 :– किसी राजय की जनसंख्या के मांग पर किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा राष्ट्रपति दे सकते है।
- ★ अनु॰-348 :– Suprime Court तथा हाईकोर्ट राजभाषा English है।
- ★ अनु॰-349 :– राजभाषा संबंधी सुधार के लिए राजभाषा आयोग या संयुक्त संसदीयीय समिति (JPC) का गइन किया जाता है और इसके सिफारिश को संसद से 2/3 बहुमत से पारित कराया जाता है।
- ★ पहला राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खेर (B.G खेर) के नेतृत्व में जबकि पहला JPC गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में बनायी गई।
- ★ अनु॰-350 :– किसी व्यथा या शिकायत के संबंधित अधिकारी को सूचना किसी भी भाषा में दी जा सकती है। जरूरी नहीं कि

Scanned with CamScanner

वह राजभाषा में हो।

★ अनु॰-350(क) :– प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा (राजभाषा) में दिया जाएगा।

★ अनु॰-350(ख) :– भाषायी अलपसंख्यकों को विशेष प्रावधान।

Remark :– अल्पसंख्यक का दर्जा भाषा तथा धर्म के आधार पर दिया जाता है, जबकि आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है।

★ अनु॰-351 :– हिन्दी भाषा का विकास करना सरकार का कर्त्तव्य होगा।

भाषा संबंधित कुछ अलग से प्रावधान :-

★ अनु॰-29 तथा 30 में भाषायी अल्पसंख्यक को के शिक्षा का प्रावधान है।

★ अनु॰-120 में कहा गया है कि संसद में केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा।

★ अनु॰-210 में कहा गया है कि संसद में केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा।

★ अनु॰-210 के अनुसार विधानमंडल में अंग्रेजी या उस राज्य के राजभाषा का प्रयोग होगा।

अनुसूची = (22 = भाषा)

प्रारंभ = 14

21वाँ (1967) = 1 सिंधी

71वाँ (1992) = 3 (नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी)

92वाँ (2003) = 4 (बोडो, डोगरी, मैथली, संथाली)

Total = 22 – भाषा

Note :– राजस्थानी, भोजपुरी तथा अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है।

शास्त्री (Classical) भाषा :-

★ 1500 ईसा पूर्व की भाषाओं को शास्त्री भाषा कहा जाता है।

2004 में इन्हें मान्यता दिया गया।

इनकी कुल संख्या 6 है।-

कन्नड़, तेल्गु, तमिल, मल्यालम, उड़िया, संस्कृत

Note :– कन्नड़, तेलगु, तमिल, मलयालम (South walor charo) को संयुक्त रूप से द्रवित भाषा कहा जाता है।

★ पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान की ब्राहुई भाषा भारत के द्रवित भाषा से मेल खाती है।

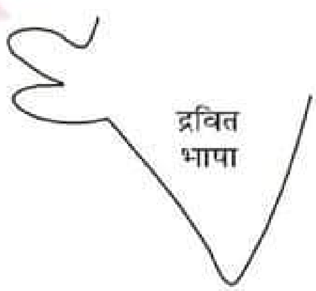

Scanned with CamScanner

भाग-XVIII

आपातकाल

अनुच्छेद 352-360

- ★ राष्ट्रीय एकता अखण्डता तथा सुरक्षा को बनाये रखने के लिए आपातकाल का प्रावधान है। आपात के दौरान संघीय व्यवस्था पर प्रतिकुल (Negative) प्रभाव पड़ता है।
- ★ हृदयनाथ कुंज ने आपातकाल को संविधान के साथ घोषणा कहा है। आपातकाल तीन प्रकार के होते हैं।
- ★ अनु॰-352 :- राष्ट्रीय आपात
- ★ यह युद्ध या शस्त्र विरोध के समय लाया जाता है। 44वां संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पर लाये जाने वाला प्रभाव समाप्त कर दिया गया।
- ★ इसे मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्पति लागु करते हैं।
- ★ संसद इसे 30 दिन के भीतर 2/3 बहुमत से पारित या अनुमोदित करती है।
- ★ मंत्रीमंडल के सलाह पर राष्ट्पति आपात को वापस ले सकते हैं।
- ★ लोकसभा 14 दिन पुर्व सूचना देकर 1/10 मत से पारित करके आपातकाल को हटा सकती है।

अनु॰-353 :- राष्ट्रीय आपात का प्रभाव

1. अनु॰ 20, 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं।
2. विधान सभा निलंबित नहीं होती है।
3. संसद राजय सूची में कानुन बना सकता है।

- ★ अनु॰-354 :- राष्ट्पति वित्तीय नियमों में बदलाव कर सकते हैं। अत: राज्यों में दिया जाने वाला 42% धन में कटौति की जा सकती है।
- ★ अनु॰-355 :- बाह्मय आक्रमण तथा शस्त्र विद्रोह से राज्यों की रक्षा केन्द्र का कर्त्तव्य है।
- ★ अनु॰-356 :- राष्ट्पति शासन
- ★ इसे मंत्रीमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्पति लागु करते हैं तथा 60 दिन के भीतर संसद को साधारण बहुमत 1/2 से पारित या अनुमोदित करना होता है।
- ★ अनु॰-357 :- राष्ट्पति शासन का प्रभाव

1. विधानसभा निलंबित हो जाती है।
2. मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है।
3. राजय का बजट संसद में प्रस्तुत होने लगता है।

- ★ अनु॰-358 :- राष्ट्रीय आपात (352) के समय अनु॰ 19 की सभी स्वतंत्रताएं स्वत: निलबित हो जाती है।
- ★ अनु॰-359 :- राष्ट्रीय आपात (352) के समय अनु॰-20 & 21 को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार राष्ट्पति निलंबित कर सकते हैं।
- ★ अनु॰-360 :- वित्तीय आपात
- ★ इसे मंत्रीमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्पति लाते हैं तथा 60 दिनों के भीतर संसद साधारण बहुमत (1/2) से अनुमोदित या पारित करती है।
- ★ वित्तीय आपात के समय राष्ट्पति को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों के वेतन काट लिए जाते हैं। यह अब तक लागू नहीं हुआ है।

Remark :- (i) राष्ट्रीय आपात को 6-6 महिने के अनुमोदन के बाद अनंतकाल तक बढ़ाया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

(ii) राष्ट्रपति शासन को 6-6 महिने अनुमोदन करके '3' साल तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) वित्तीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन एक बार अनुमोदन के बाद तब तक लागू रहता है, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता।

(iv) राष्ट्रीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन जर्मनी से जबकि वित्तीय आपात USA से लिया गया है।

(v) 42वां संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात का दुरूपयोग किया। जबकि 44वां संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई ने इस दुरूपयोग को समाप्त किया।

भाग-XIX

प्रमुख उपबंध

अनुच्छेद 361-367

★ अनु॰-361 :- राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की फौजदारी मुकदमा के लिए न्यायालय का सामना नहीं करना पड़ेगा अर्थात न्यायालय से संरक्षण है।

अगर इन्हें सजा हो भी जाती है, तो राष्ट्रपति अनु॰-72 के तहत, राज्यपाल अनु॰-161 के तहत तथा विदेशी राष्ट्राध्या वियना संधि के तहत सजा से मुक्त हो सकता है।

★ अनु॰-362 :- भारतीय राजाओं का विशेष संरक्षण (बर्तमान में समाप्त कर दिया गया है)

★ अनु॰-363 :- किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या कसर पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी।

★ अनु॰-364 :- महापत्त्न (बड़े बंदरगाह), वायुपतन (बड़े Airport) केन्द्र के अधीन रहेंगे।

★ अनु॰-365 :- राज्य केन्द्र के दिशा-निर्देशों को पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

★ अनु॰-366 :- कुछ परिभाषाएँ

(i) Anglo Indian :- जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों के संतान जो भारतीय माँ से पैदा हुए हो किंतु स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज अपने परिवार को छोड़कर चले गए। उन्हें Anglo Indian कहते हैं। ये केवल यूरोपियन देशों पर लागु होता है। क्योंकि भारत को गुलाम बनाने वाले सभी देश यूरोप के थे।

(ii) उधार (Deapth) :- इसे लौटाने के लिए व्यक्ति बाध्यकारी नहीं होता है।

(iii) ऋण (Loan) :- इसे लौटाने के लिए व्यक्ति बाध्यकारी होता है।

(iv) शुल्क (Fee) :- किसी कार्य या सेवा के बदले लिया गया धन शुल्क कहलाता है। यह देना अनिवार्य है।

(v) कर (Tax) :- बिना कार्य के दो सरकार द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य धनराशि 'कर' कहलाता है।

(vi) चंदा (चैरिटी या Donation or subscription) :- सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा से दी गई धनराशि चंदा कहलाता है।

(vii) अनुदान (सबसिडी) :- किसी वस्तु को सस्ता करने के लिए सरकार द्वारा दी गई धनराशि अनुदान कहलाता है।

(viii) सहायता राशि :- किसी आपदा या विशेष कार्य हेतु मुक्त में दी गई धन राशि सहायता राशि कहलाता है।

भाग-XX

संशोधन (द॰ अफ्रीका)

★ अनु॰-363 :- संशोधन की प्रक्रिया द॰ अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। यदि एक सदन ने इसको पारित कर दिया तथा दूसरा सदन संशोधन को पारित नहीं किया तो संशोधन विधेयक शब्द हो जाएगा।

★ सँविधान सभा में अम्बेडकर जी ने कहा था हमने भारतीय सँविधान को इंग्लैण्ड के समान लचीला नहीं बनाया है और न ही USA के समान कठोर बनाया है। जो ाी व्यक्ति इस सँविधान से असंतुष्ट है। वह इसमें संशोधन कर सकता है इसके लिए उसे बहुमत की आवश्यकता है।

★ संशोधन तीन प्रकार से हो सकते हैं-

Scanned with CamScanner

2. **सातवां संशोधन (1956) :** - इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता दिया गया। साथ ही यह व्यवस्था किया गया कि एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।

3. **आठवां संशोधन (1960) :**- इसके द्वारा लोक सभा तथा विधानसभा में SC/ST के सीटों को 1960 से बढ़ाकर 1970 तक कर दिया गया।

4. **45वां संशोधन (2010) :**- इसके द्वारा आरक्षण को 2010 से 2020 तक कर दिया गया है।

Remark :- मूल संविधान में सीटों का आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था जो 1960 में समाप्त हो जाना था किन्तु इसे संशोधन कर करके आरक्षण को 2020 तक लाया गया है।

5. **अठारहवा संशाधेन (1966) :**- शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन।

(i) पंजाबी भाषा क्षेत्र = पंजाब

(ii) हिन्दी भाषा क्षेत्र = हिमाचल प्रदेश

(iii) हिमालय पर्वतीय क्षेत्र = हिमाचल प्रदेश

(iv) केन्द्रशासित प्रदेश = चंडीगढ़

6. **35वां संशोधन (1974) :** - इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया इससे पहले सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था।

7. **36वां संशोधन (1975) :** - इसके द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना।

8. **42वां संशोधन (1976) :**- इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया। 59 प्रावधान जोड़ने के कारण अत्यधिक विस्तृत हो गया। जिस कारण इसे मिनी संविधान कहते हैं। इसे इंदिरा गांधी ने लाया। यह लोकतंत्र पर प्रतिकूल (उल्टा) प्रभाव डालता था। यह भारत को एकात्मा बना रहा था।

★ इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया।

★ आपातकाल PM के सलाह पर लागू किया जाएगा।

★ आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा।

★ लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया।

★ मूल कर्तव्य जोड़े गए।

★ प्रस्तावना में तीन नये शब्द जोड़े गए।

(a) समाजवादी (b) पंथ निरपेक्ष (c) एकता एवं अखण्डता।

9. **44वां संशोधन (1978):**- इसके द्वारा 42वें संशोधन की कमियों को दूर किया गया। मोरारजी देसाई ने इसे लाया।

★ संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया।

★ राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लौटाने के लिए अर्थात् एक बार पुनर्विचार का मौका दिया गया।

★ आपातकाल को PM के स्थान पर मंत्रिमंडल के सलाह पर किया गया।

★ आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।

★ लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से पुन: 5 वर्ष किया गया।

10. **52वां संविधान संशोधन (1985) :** - दल-बदल को जोड़ा गया।

11. **61वां संशोधन (1989 :**-मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया।

निति आयोग -

12. 65वां संशोधन (1990) : - SC आयोग का गठन

CS Scanned with CamScanner

1. **साधारण बहुमत :-** इस विधि द्वारा संशोधन करने के लिए उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक की आवश्यकता होती है। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। यह संशोधन न होकर एक मामूली सुधार है। अत: इसे अनु॰ 368 के बाहर रखा गया है।

★ इस विधि द्वारा निम्नलिखित संशोधन होते हैं-

e.g. वेतन में वृद्धि, विदेशी राज्य का भारत में विलय (अनु॰-2), वर्तमान राज्य में परिवर्तन (अनु॰ 3), विधान परिषद का सृजन (अनु॰-169) अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8 में परिवर्तन साधारण बहुमत से कर है।

2. **विशेष बहुमत :-** इस विधि द्वारा संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक संशोधन इसी विधि द्वारा भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है।

   e.g. मूल अधिकार भाग-III, नीति निदेशक तत्व भाग-4 में संशोधन।

3. **विशेष बहुमत + आधी से अधिक राज्य की सहमति :-**

★ यह संशोधन की सबसे कठोर विधि है। इस विधि द्वारा संशोधन करने के लिए केन्द्र को विशेष बहुमत से तथा आधे से अधिक राज्यों को साधारण बहुमत से पारित करना होता है। इस विधि द्वारा वैसे विषयों में संशोधन किया जाता है। जिससे राज्यों का हित जुड़ा हो। अर्थात् यह विधि संघीय ढाँचा बनाये रखने के लिए है।

e.g (i) विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में संशोधन

(ii) समवर्ती सूची, राष्ट्रपति के निर्वाचक प्रणाली, राज्यों पर लगने वाला Tax (GST)

(iii) संशोधन प्रक्रिया में नई विधि को जोड़ना या वर्तमान विधि को हटाना इसी विधि द्वारा होगा।

Remark :- राष्ट्रपति के महाभियोग में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है जबकि संशोधन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है।

मूल अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय

1. **शंकरी प्रसाद विवाद :-** इसमें Suprime Court ने कहा कि संसद मूल अधिकार (भाग-III) के साथ-साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है।
2. **सज्जन सिंह विवाद :-**शंकरी प्रसाद विवाद को same
3. **गोलक नाथ विवाद :-** इसमें ग्यारह जज थे यह दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें Suprime Court ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है।
4. **केशवानन्द भारती :-**इसमें 13 जज थे। यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है किन्तु संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए।

   e.g. - 39वां संशोधन 1975 में यह व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा P.M. के चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। किन्तु इसे Suprime court ने मूल ढांचा के विपरित बातकर रद्द कर दिया। (उस समय PM इंदिरा गांधी थी)
5. **मिनरमा मील :-**इसमें Suprime Court ने कहा कि संसद को संशोधन करने की शक्ति सीमित है।

   e.g. - 42वां संशोधन 1975 में यह कहा गया कि संसद को संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है किन्तु Suprime Court ने मिनरमा मील का हवाला देकर रद्द कर दिया।

   Remark :- किसी संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जज होना चाहिए।

★ केशवानंद में 13 जज तथा गोलक नाथ में 11 जज थे।

प्रमुख संशोधन

1. **प्रथम संशोधन (1951) :-** इसके द्वारा जमीनदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार किया गया। जिसे 9वीं अनुसूचित में जोड़ा गया।

★ Suprime court 9वीं अनुसूचि में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

CS Scanned with CamScanner

13. 89वां संशोधन (2003) : - ST आयोग का गठन

14. 123वां संशाधेन (2018) : - OBC आयोग का गठन

15. 69वां संशाधेन (1991) : - दिल्ली एवं पाँडिचेरी में विधान सभा का गठन किया गया।

16. 70वां संशोधन (1992) :- दिल्ली एवं पाँडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया।

17. 73वां संशोधन (1992) :- पंचायती राज्य के 11वीं अनुसूचि में जोड़ा गया।

18. 74वां संशोधन (1992) :- नगरपालिका 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया।

भाग-21

अस्थायी, संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान (अनु. 369 - 92)

अनु. 369 : - राज्य सूची के विषय में संसद 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है।

अनु. 370 : - J & K

★ 26 अक्टूबर, 1947 को J & K भारत का अंग बना।

★ 26 नवम्बर, 1957 को जम्मू कश्मरी का संविधान पारित हुआ।

★ J & K के राज्यपाल को सद्र-ए-रियासत कहा जाता था। 1965 के बाद उसे राज्यपाल कहा जाने लगा।

★ जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता या अब 5 वर्ष का होगा।

★ J & K विधान सभा दो मलिला सदस्यों को मनोनित कर सकता था।

★ J & K में RTI, RBI तथा नीति निदेशक तत्व लागू नहीं होते थे।

★ J & K में सम्पत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और यहाँ दोहरी नागरिकता थी।

★ J & K के स्थायी नागरिकों को विशेष छुट दी जाती थी।

★ कौन व्यक्ति स्थायी नागरिक है या नहीं इसका निर्धारण J & K विधानसभा अनु. 35 (A) के तत्व करती थी।

★ J & K की सीमाएं तब तक भारत की सीमाएं समझी जाएगी जब तक भारतीय संविधान में 370 है, इसी कारण संसद ने भी 370(A) नहीं हटाई गई।

अनु. - 371 :- महाराष्ट्र - गुजरात

371 (A) - नागालैंड

(B) - असम

(C) - मणिपुर

(D) - आंध्रप्रदेश

(E) - A.P. University

(F) - सिक्किम

(G) - मिजोरम

(H) - अरुणाचल प्रदेश

(I) - गोवा

(J) - कर्नाटक

CS Scanned with CamScanner

Trick :

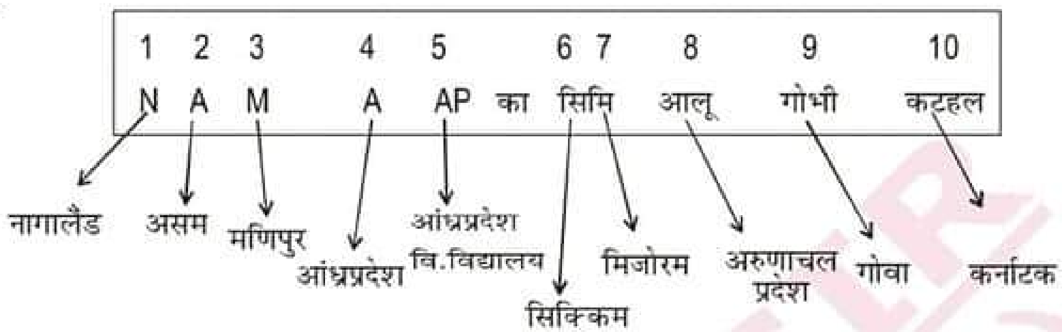

★ अनु. 379 - 390 (निरसित / रद्द) कर दिया गया है।

★ अनु. 392 - कठिनाइयों को दूर करना राष्ट्रपति का कर्त्तव्य होगा।

भाग-22

संक्षिप्त नाम (अनु. 393 - 395)

★ **अनु. 393 :** - इस विधि पुस्तक का संक्षिप्त नाम ''भारत का संविधान'' है।

★ **अनु. 399 :** - इस संविधान के लागू होने की तीथि की चर्चा है।

★ **संविधान 26 नवम्बर 1949 को बन गया किन्तु इसे** 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

★ 26 नवम्बर 1949 को ही संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, जो निम्नलिखित है।

अनु. 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394

अनु. 394 (A) : - इसे 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत राष्ट्रपति के अनुमति से मूल संविधान जो अंग्रेजी में था इसे हिन्दी में अनुवाद किया गया।

अनु. 395 : - इस संविधान के लागू होते ही (26 जनवरी 1950) इससे पहले के सभी अधिकनियम (1935, 1919, 1909) सभी ये नियम रद्द हो जाएंगे।

वरियता क्रम या पद सोपान

1. राष्ट्रपति
2. उपराष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. राज्यपाल
5. भूतपूर्व राष्ट्रपति
6. स्पीकर - CJI
7. मंत्री विपक्ष
8. भारत रत्न विजेता
9. जज, UPSC, निर्वाचन, CAG

☛ **ED (प्रवर्त्तन निदेशालय) :** -इसकी स्थापना 1956 में हुई। यह गैर कानुनी वित्तीय लेनदेन की जाँच करता है। विदेशों से आने वाले धन की भी जाँच करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली है।

Scanned with CamScanner

- **(CBI) :** -इसकी स्थापना 1963 में के-संथानम के सिफारिश में हुई। प्रारंभ में यह दिल्ली पुलिस की ही साखा थी। यह भारत की सबसे बड़ी जाँच Agency है।
- **CVC (Central Visilence Commission) केन्द्रीय सतर्कता आयोग :** - इसकी स्थापना 1964 में K-संथानम के सिफारिश पर हुई। यह सभी केन्द्रीय कर्मचारियों पर नजर रखता है ताकि भ्रष्टाचार में कमी आये। यदि किसी अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत करनी हो, तो CVC के पास किया जाता है। इसके आयुक्त के कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है।
- **संवैधानिक विकास : -**
- ★ संविधान कई वर्षों के सतत् विकास का परिणाम होता है।
- ★ संविधान का अर्थ होता है सभी के लिए बराबर कानून।
- ★ भारतीय संविधान का विकास सन् 1600 से प्रारंभ हो गया।
- ★ इंगलैण्ड भारत में कार्य कर रही ईस्ट इंडिया कम्पनी को निर्यंत्रित करने के लिए जो कानून बनाती थी, उसी का संग्रह भारतीय संविधान में दिखता है।
- **चार्टर एक्ट / राज्य एक्ट :** - भारत का वह कानून जो सीधे England से बनकर आता था। चार्टर एक्ट कहलाता है।
  e.g. - 1773, 1784, 1786, 1813, 1833, 1853
- **भारत शसन अधिनियम (Government of India Act) :** - भारत का वह कानून जो भारत में ही बनाया जाता था। भारत शासन अधिनियम कहलाता था।
  e.g. - 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935
- **1773 का रेगुलेटिंग एक्ट :** - इसके द्वारा कलकत्ता में Suprime Court की स्थापना की गई। जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एजिला MP थी।
- ★ बंबई तथा मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया।
- ★ बंगाल के गर्वनर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
- **पिट्स इंडिया एक्ट (1784) : -**
- ★ इसके द्वारा Company के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया।
- ★ भारत में द्वैध शासन ला दिया गया जिसके तहत कम्पनियों के कार्यों को दो भाग में बांट दिया गया।

1. **निदेशक मंडल (Director) :** - यह भारत में रहते थे और व्यापारिक कार्यों को देखते थे।
2. **नियंत्रक मंडल (Controler) :** यह इंगलैण्ड में रहते थे राजनीतिक तथा सैन्य कार्यों को देखते थे।

- **1786 का चार्टर एक्ट -**
- ★ इसके द्वारा पिट्स इंडिया Act की कमीयों को दूर किया गया।
- ★ भारत के गवर्नर को Veto Power तथा सैन्य शक्तियाँ दी गई।
- **1813 चार्टर अधिनियम : -**
- ★ इसके द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष एक लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया।
- ★ ईसाई धर्म के प्रचार को अनुकमति दिया गया।
- ★ कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया किन्तु भारतीय चाय तथा चीन देश से व्यापार एकाधिकार बना रहा।
- **1833 का चार्टर अधिनियम : -**
- ★ कम्पनी के एकाधिकार को पूर्णत: समाप्त कर दिया गया। इसमें विधि सदस्य को जोड़ा गया।
- **1853 का चार्टर अधिनियम :** - यह अंतिम चार्टर था। इसमें एक अलग से विधि परिषद गठन किया गया। कम्पनी के कर्मचारियों के खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

Scanned with CamScanner

1857 का भारत शासन अधिनियम : -

- इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कम्पनी, द्वैध शासन, निदेशक तथा नियंत्रण मंडल को समाप्त किया गया।
- भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया। राजा के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की गई।
- वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई जो ब्रिटेन का मंत्री होता था।

नोट : इंगलैण्ड की महारानी को 28 अप्रैल, 1876 को भारत की शासिका घोषित कर दिया गया।

1861 का अधिनियम : - इसके द्वारा विभागीय प्रणाली अर्थात् मंत्रीमंडल का गठन किया गया। तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई।

- इस अधिनियम द्वारा IPC (Indian Pinal Court) की धाराओं को बनाया गया।

1892 का भारत शासन अधिनियम : -

- इसके द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया तथा निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई।

1909 का अधिनियम : -

- इसे मार्ले-मिण्टों सुधार भी कहते हैं, इसने फूट डालो और शासन करो के लिए मुस्लमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया।

1919 का भारत शासन अधिनियम : -

- इसे मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ट सुधार भी कहते हैं।
- इसके द्वारा ईसाई तथा बौद्ध को पृथक क्षेत्र दियागया।
- महिलाओं को Vote डालने का अधिकार दिया गया।
- राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया और दो विषय बना दिया गया।
- आरक्षित विषय वायसराय के पास थे।
- हस्तांतरित विषय भारतीयों को सौंप दियागया।

भारत शासन अधिनियम (1935) : -

- इसके द्वारा राज्यों को स्वायतता दिया गया। राज्य का द्वैध शासन समाप्त करके केन्द्र में द्वैध शासन लाया गया। एक मजबूत संघ का निर्माण किया गया।
- बर्मा (म्यांमार) को भारत से अलग कर दिया गया।
- प्रांतीय चुनाव (1935) कराया गया।
- संविधान का 80% से अधिक भाग इसी से लिया गया है, अत: इसे संविधान का Blue Print कहते हैं।

कैबिनेट मिशन (March 1946) : -

इसे ब्रिटेन के PM क्लिमेंट एटली ने भेजा था। इसमें 3 सदस्य थे-

(i) क्रिप्स (ii) एलेकजेण्डर (iii) लारेंस (Trick : KAL)

- कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लारेंस के हाथ में थी। इस मिशन के आधार पर अंतिरिम सरकार (Provisional Government) का गठन किया गया। यह सरकार (1946- 51) तक शासन की। इसमें उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री के पद पर जवाहर लाल नेहरू थे।

गृह मंत्रि – सरदार पटेल

खाद्य आपूर्ति – राजेन्द्र प्रसाद

रेल मंत्रि – अरूणा आसफ अली

रक्षा मंत्रि – बलदेव सिंह

उद्योग मंत्रि – जान मथाई

- कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। इसके सदस्यों के चुनाव के लिए 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया।

Scanned with CamScanner

★ अखण्ड भारत से 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें 15 महिलाएँ थी।

★ स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान अलग हो गयाजिस कारण वहाँ के प्रतिनिधि अलग हो गए और संविधान में केवल 299 सदस्य ही अंतिम रूप से बचा।

★ अम्बेडकर ज का चुनाव बंगाल से हुआ किन्तु बंगाल अलग होने के कारण पुन: उनका निर्वाचन महाराष्ट्र से हुआ।

★ संविधान सभा में निर्णय सहमति के आधार पर ली जाती थी।

★ संविधान सभा के विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग-अलग समितियाँ बनाई गई।

1. संघ समिति : जवाहर लाल नेहरू
2. प्रांतीय समिति : सरदार पटेल
3. मूल अधकिार : सरदार पटेल
4. कार्य संचालन : K. N. मुंशी
5. झंडा समिति : T.B. कृप्लानी + राजेन्द्र प्रसाद
6. प्रारूप समिति : भीम राव अम्बेडकर

★ **प्रारूप समिति में सात सदस्य थे-**

1. अम्बेडकर
2. आयंगर
3. अय्यर
4. मुंशी
5. मित्र
6. सादुल्ला
7. खेतान

★ संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष सचिदानन्द सिंह को चुना गया।

★ 11 दिसम्बर, 1946 को स्थायी अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद को चुना गया। B.N. राव को सलाहकार चुना गया।

★ 13 दिसम्बर, 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

★ 26 नवम्बर, 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी दिन संविधान को अलंगकृत, आत्मर्पित, अधिनियमित कर लिया गया। इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है किन्तु संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्योंकि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस 1930 से मनाते आ रहे थे।

★ 24 जनवरी, 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी।

★ कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित संविधान में 389 सदस्य थे जिसमें 15 महिलाएं थे। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 बचा था।

★ अंतिम रूप से संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये जिसमें 8 महिलाये थी।

★ संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महिने 18 दिन का समय लगा।

★ संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ है।

☛ संविधान के विदेशी स्रोत :-

(i) कनाडा : - संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट सूची, राज्यपाल, GST

(ii) USA : मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति, Suprime Court , न्यायिक पुर्नराअवलोकन, महाभियोग, वित्तिय आपात प्रस्तावना।

(iii) आयरलैंड :- नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मनोनित सदस्य।

Note : नीति निदेशक तत्व को आयरलैण्ड से स्पेन से लाया था और स्पेन ने इसे स्वयं बनाया था।

CS Scanned with CamScanner

(iv) **जर्मनी :-** आपात (विमर संविधान)

(v) **फ्रांस :-** गणराज्य

(vi) ब्रिटेन :- एकल नागरिकता, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, संसद की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल, सामुहिक उत्तरदायित्व, PM

(vii) द. अफ्रिका :- संविधान संशोधन

(viii) रूस (सोवियत संघ) :- मौलिक कर्त्तव्य, पंच वर्षीय योजना

(ix) जापान :- अनु. 22 की कानुनी शब्दावली

(x) ऑस्ट्रेलिया :- समवर्ती सुची, केन्द्रराज्य संबंध, संयुक्त, अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा।

राष्ट्रीय ध्वज :-

★ इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसकी ल. चौ. में 3 : 2 का अनुपात होता है, जिसे पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। इसका नीचला भाग हरा होता है, जो हरियाली का प्रतिक है, केसरिया ऊपर रहता है, जो बलिदान का प्रतीक है। बीच की सफेद पट्टी है, जो शांति का प्रतीक है। बीच में 24 तीलियों का चक्र है, जो प्रगति का संकेत है।

★ ध्वज नियम के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज दाहिनी तरफ होता है, और अन्य ध्वज से ऊपर रहता है।

★ जुलूस लेकर चलने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलेगा। और ध्वज दाहिना कंध में लेकर चलेगा।

★ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले ध्वज नहीं फहराया जा सकता।

★ निजी संस्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है, ध्वज का झुका देना राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है।

★ राष्ट्रीय ध्वज का उल्टा फहराना संकट का प्रतीक है।

Scanned with CamScanner

★ राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग पटाका के रूप में नहीं हो सकता है।

राष्ट्रीय गान :-

★ इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगार ने किया। यह तत्व बोधनी कविता का 13 पंक्तियों वाला भाग है। इसे जन-गण-मन कहते हैं।

★ इसे 52 सेकेण्ड में गाना होता है किन्तु विशेष परिस्थिति में 20 सेकेण्ड में गाया जाता है।

★ इसे पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया।

★ 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। जिसे "The Morning Song of India" कहते हैं।

★ 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया।

राष्ट्रीय गीत :-

★ इसकी रचना बंकिम चन्द्र चट्टर्जी ने किया। इसे आनन्द मठ पुस्तक से लिया गया। जिसे वन्दे मात्रम कहते हैं।

★ इसे पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसे 65 सेकेण्ड में गाना होता है। 24 जनवरी को इसे अपनाया गया।

राष्ट्रीय चिन्ह (अशोक चिन्ह) :-

★ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह शारनाथ का अशाक स्तंभ है, जिसमें चार शेर है, किन्तु 3 ही दिखाई देते हैं। इसके नीचे एक चक्र बना है, जिसके एक ओर सांड तथा दूसरी ओर घोड़ा है। जिसके नीचे देवनागरी लीपि में सत्य-मेव-जयते लिखा है, जिसे मुण्डकोपनिषद से लिया गया है।

★ इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया।

राष्ट्रीय पांचांग (कैलेण्डर) :-

★ प्रारंभ में भारत का पांचांग विक्रम सन्वत था। किन्तु 22 मार्च 1957 को शक संवत् को अपना लिया गया। यह चन्द्रमा पर आधारित होता है।

★ यह 22 मार्च से प्रारंभ होता है।

महिना का नाम - चैत्र, वैशाख, जेष्ट, आसार, सावन, भादव, आस्विन, कार्तिक, अग्हन, पुश, माग, फाल्गुन

प्रस्तावना :-

★ प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, जबकि उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई।

★ संविधान निर्माताओं की मनोभावना आदर्श प्रस्तावना में दिखते हैं।

★ प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं।

★ प्रस्तावना में संघ या व्यस्क मताधिकार की चर्चा नहीं है।

★ S.C. प्रस्तावना को संविधान की भाग मानता है, और इसे संविधान की आत्मा कहते हैं।

Q. किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं ?

(A) भाग-3 (B) भाग-4 (C) प्रस्तावना (D) अनुसूची

Q. किस अनु. को संविधान की आत्मा कहते हैं ?

(A) प्रस्तावना (B) अनु. 32 (C) अनु. 124 (D) अनु. 214

Scanned with CamScanner

★ प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता फ्रांस की क्रांति से लिया गया।

★ बेरूबरी तथा चमपकम दोड़ाई राजन विवाद 1960 में S.C. ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।

★ केशवानन्द भारतीय विवाद 1973 में S.C. ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है।

★ प्रस्तावना में अबतक मात्र एक बार संशोधन हुआ है।

42वां संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गये।

(i) समाजवादी

(ii) पंथ निरपेक्ष

(iii) एकता एवं अखण्डता

नोट : धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है, सरकार धर्म से दूरी बनाकर रखेगी। जबकि पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है, सरकार किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करेगी।

नोट : भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है, क्योंकि राज्य (देश) का अपना कोई धर्म नहीं है।

★ **राज्य (देश) के लिए आवश्यक तत्व :-**

(i) क्षेत्रफल

(ii) जनसंख्या

(iii) सरकार

(iv) सम्प्रभुता

★ **सम्प्रभुता :-** जब कोई सरकार अपने आंतरिक तथा बाह्य मामले स्वयं ले ले तो उसे सम्प्रभुत्व सरकार कहते हैं, सम्प्रभुत्व सरकार पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है।

★ भारत की संप्रभुता संसद के पास है।

★ **स्वायत राज्य या Autonomous या Dominian :** - वैसा क्षेत्र जो किसी देश के अधिन हो, किन्तु उसे आंशिक सम्प्रभुता प्राप्त हो, स्वायत कहलाता है।

e.g. चीनक का तिब्बत तथा हाँग-काँग

डेनमार्क का ग्रीन लैंड

भारत का जम्मू कश्मरी

नोट : प्रांत का राज्य होता है।

शासन के प्रकार

एकात्मक — केन्द्र, राजय

संघात्मक — केन्द्र, राज्य

★ एकात्मक सरकार में राज्यों को शक्ति नहीं होती है।

e.g. ब्रिटेन - राजतंत्र

★ संघात्मक में केन्द्र और राज्य दोनों शक्तियाँ होती है।

e.g. USA, कनाडा, भारत, Pak

★ भारत पूरी तरह एकात्मक न संघात्मक है, भारत एक अर्द्धसंघात्मक है।

★ भारत में अधिकांश गुण संघात्मक के हैं किन्तु निम्नलिखित गुण है, जो एकात्मक में होते हैं।

(i) राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है किन्तु इसकी नियुक्ति केन्द्र करता है।

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)
Scanned with CamScanner

(ii) भारत में नागरिकता केन्द्र सरकार देती है, जबकि राज्यसरकार केवल आवासीय देती है।

(iii) संसद द्वारा बनाया गया कानुन सभ ीराज्यों को मानना अनिवार्य है।

(iv) केन्द्र का CAG सभी राज्यों के लेखाओं की जाँच कर देता है।

(v) पूरे भारत में एकहरी न्यायपालिका है।

(vi) आपातकालीन शक्ति केवल केन्द्र की है, और आपातकाल के दौरान संविधान एकात्मक हो जाता है।

(vii) अखिल भारतीय सेवा (अनु. 315)

(viii) नीति आयोग तथा योजना आयोग।

सरकार के प्रकार :-

1. राजतंत्र :- इसमें एक राजा वंशानुगत शासन करता है, जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अत: वह निरकुंश होता है। इसमें जनता के अधिकार को दबाया जाता है।

e.g. प्राचीन भारत, अरब, जापान, ब्रिटेन, भूटान etc.

2. राजशाही :- इसमें सैनिक का शासन रहता है। जो general सत्ता हथिया लेता है। जनता का सर्वाधिक अत्याचार तानाशाही में होता है।

e.g.	पाकिस्तान	–	परवेज मुखर्रफ
	ईराक	–	सद्दाम हुसैन
	सीरिया	–	बसर-अल-असद
	यमन	–	शेख अब्दुल्ला सालेह
	मिस्त्र	–	हैसनी मुबारक
	कोरिया	–	किंग जोम
	जर्मनी	–	हिटलर

3. साम्यवादी (Communist) : इसमें एक ही पार्टी का शासन होता है, इसमें कठोर नियम बनाये जाते हैं।

e.g. चीन, सोवियत संघ इत्यादि।

4. गणराज्य (Republic) :-इसमें राष्ट्र के प्रमुख का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है।

e.g. भारत के राष्ट्रपति

★ अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के विषय में कहा है, कि यह जनता की सरकार होती है, जो जनता द्वारा चुनी गई होती है और जनता के लिए शासन करती है।

लोकतंत्र दो प्रकार का होता है-

1. प्रत्यक्ष 2. अप्रत्यक्ष

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र :- यह कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हो सकता है। इसमें जनता ही नियम बनाती है। स्वीट्जरलैण्ड तथा भारत के ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है।

★ स्वीट्जरलैण्ड के राष्ट्रपति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

2. अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र :- इसमें जनता द्वार चुने गए प्रधानमंत्री प्रतिनिधि जनता के लिए कानुन बनाते हैं।

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को दो भागों में बाँटते हैं-

1. अध्यक्षात्मक : - इसमें कार्यपालिका का विभाजन नहीं होता है। इसमें औपचारिक तथा वास्तविक दोनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास होती है।

2. संसदीय प्रणाली :- इसमें कार्यपालिका की शक्ति का विभाजन हो जाता है। वास्तविक शक्ति PM को तथा औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति को दी जाती है।

Scanned with CamScanner

लोकतंत्र (Democracy)

- प्रत्यक्ष
  - पंचायत (भारत)
  - स्वीट्जरलैण्ड
- अप्रत्यक्ष
  - अध्यक्षात्मक
    - वास्तविक + औपचारिक → राष्ट्रपति
    - eg U.S.A.
  - संसदीय
    - वास्तविक-PM
    - औपचारिक-राष्ट्रपति
    - Indian, Pak

नौकरशाही (Beaurccracy) :-

★ जिस व्यवस्था में नौकरशाह (अधिकारियों) का बोलबाला होता है, उसे नौकरशाही कहते हैं। इसे लाल फीता शाही भी कहते हैं। इसमें बहुत अधिक विभागीय प्रक्रिया होती है।

e.g. भारत

सरकार के अंग

- विधायिका (Legislative)
  - केन्द्र → संसद (MP)
  - राज्य → विधानमंडल (MLA, MLC)
- कार्यपालिका (Execuative)
  - केन्द्र → राष्ट्रपति → मंत्रीपरिषद (MP) → सचिव → अधिकारी
  - राज्य → राज्यपाल → मंत्रीपरिषद(CP) → सचिव → अधिकारी
- न्यायपालिका (Judiciary)
  - S.C. → H.C. → D.C.
- पत्राकारिता (Media)
  - The wire, ALT News
  - NDTV, BBC

Scanned with CamScanner

★ भारत में अनु०-50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग-अलग है। न्यायपालिका सर्वोच्च तथा स्वतंत्र निकाय है। भारत में एकहरी न्यायपालिका है।

★ Media को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य शासन में आ रही कमी को उजागर करना तथा सरकार की आलोचना करना।

Note :– सरकार की सफलताओं को गिनवाने के लिए सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है।

★ विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं। जब कोई मंत्री संसद में बैठता है, तो विधायिका का अंग है किंतु

★ जब वह अपने मंत्रालय में बैठता है, तो वह कार्यपालिका का अंग है।

★ विधायिका कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है, यदि कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेगी तो विधायिका उस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाएगी।

कार्यपालिका दो प्रकार की होती है :-

(i) **स्थायी कार्यपालिका :-** यह सेवानिवृत या Retirement तक अपने पद पर रहते हैं, जैसे अधिकारी तथा सचिव। ये लोग चयनित (selected) होते हैं।

★ सचिव जिस भवन में बैठते हैं,उसे सचिवालय कहते हैं और यह सचिवालय अध्यक्ष के अधीन रहता है।

(ii) **अस्थायी कार्यपालिका :-** इन लोगों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।

e.g. राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री etc. ये लोग निर्वाचित (Elected) होते हैं।

★ विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उस नियम को लागु करवाती है, न्यायपालिका नियम न मानने वाले को दंडित करती है।

★ Media किसी मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर उजागर करती है।

FIR (First Information Report) :–

★ किसी भी घटना की लिखित सुचना जो पुलिस को दी जाती है, उसे प्राथमिकी कहते हैं।

★ **Station Diary :–** FIR के आधार पर पुलिस जब घटना की जाँच करती है, और सही तथ्यों को एक जगह इकट्ठा करती है, उसे Station Diary कहते हैं। यह बड़ा सबुत होता है। पुलिस रिश्वत लेकर इसी Station Diary में कम तथ्यों को लिख देती है, जिस कारण केश कमजोर हो जाता है।

Charge Sheet / आरोपपत्र :-

★ इसमें IPC की धारायें लिखी गई रहती है, जिस आधार पर मुकदमा चलाया जाता है। Charge sheet file होने के बाद मुकदमा court में चला जाता है।

IPC (Indian Penal Code) :–

★ इसे 1861 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया। इसमें अपराध की परिभाषा दी गई रहती है।

CRPC (Code of Criminal Procedure) :–

★ इसमें अपराध के बदले कितना दंड दिया जाएगा, इसकी चर्चा रहती है।

प्रमुख धाराएँ :-

धारा 34 = सामुहिक अपराध

धारा 201 = सबुत मिटाना

धारा 302 = हत्या

धारा 304 = लापरवाही से हत्या (Bone damage, Blood)

धारा 307 = हत्या की कोशिश

Scanned with CamScanner

धारा 309 = आत्म हत्या की कोशिश

धारा 312 = गर्भपात

धारा 315 = आत्म हत्या के लिए प्रेरित करना

धारा 365 = अपहरण

धारा 376 = Rape

धारा 376 (B) = Gange Rape

धारा 379 = चोरी (चार से कम व्यक्ति)

धारा 395 = डकैती (4 से ज्यादा व्यक्ति)

धारा 396 = डकैती के दौरान हत्या

धारा 415 = छल

धारा 420 = धोखा

धारा 444 = दूसरी विवाह

धारा 497 = व्यभिचार (इसे समाप्त कर दिया गया है)

★ यह शादी-शुदा महिला के साथ संबंध रखने पर लगाया जाता है।

★ 166 (A) = FIR न लिखने पर इसका प्रयोग पुलिस के विरुद्ध किया जाता है। जब पुलिस FIR नहीं लिखती है, तो दूसरे पुलिस स्टेशन से FIR लिखवाया जाता है जिसे Zero FIR कहते हैं।

★ डायरेक्ट (Direct) कोर्ट में भी जाकर FIR लिखवाया जाता है।

Cyber Crime :–

★ Cyber Crime की धारा :- 66, 67, 67(A), 67(B) के तहत जब कोई व्यक्ति किसी Photo या Video का दुरुपयोग करता है, तो इन धाराओं के विरुद्ध उसपर कारवाई की जाती है।

★ **धारा 144** :- धारा-144 के तहत व्यक्ति को समूह में इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है।

★ **जमानत** :- जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस उससे पुछताछ के लिए उसे पुलिस रिमांड पर ले लेती है। यहीं पर पुलिस उसे पिटती है।

★ रिमांड पर पुछताछ के बाद उसे जेल में भेज दिया जाता है।

★ यदि इसका अपराध बड़ा नहीं है, तो जज उसे जमानत पर छोड़ देता है। जमानत पर छोड़ने के लिए उसे कुछ धनराशि Security Money के रूप में जमा करनी होती है। तथा किसी अन्य व्यक्ति को Guaranty (जमानत) लेनी पड़ती है।

★ **अग्रिम जमानत (Anti Sepetry bill)** :– जब कोई व्यक्ति बहुत जघन्य अपराध करता है, तो उसे जमानत नहीं दिया जाता है, जिसे गैर जमानती वारन्ट कहते हैं।

e.g. निर्भया केश, हैदराबाद रेप केश etc. 26/11 हमला

★ **पेरोल (Perol)** :– जब कोई अपराधी अपराधिक घटनाओं को छोड़कर सुधरना चाहता है, तो जेल में उसके Record के आधार पर उसे छोड़ दिया जाता है।

e.g. संजय दत्त

International Relation :–

★ **पहली दुनिया** :- अमेरिका तथा सहयोगी देशों को पहली दुनिया कहते हैं।

★ **दुसरी दुनिया** :- रूस तथा उसके सहयोगी देशों को दूसरी दुनिया कहते हैं।

★ **तीसरी दुनिया** :- वैसे विकासशील देश जो किसी भी गुट में नहीं गये, उसे तीसरी दुनिया या द० दुनिया कहते हैं।

CS Scanned with CamScanner

राष्ट्रसंघ (League of Nation) :-

★ प्रथम विश्वयुद्ध पुर्णत: 1919 के वरसाय के संधि के द्वारा समाप्त हुआ, इसके समाप्ति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जेनेवा में League of Nation की स्थापना की। यह League of Nation उस समय विश्व से मलेरिया उन्मूलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।

★ League of Nation के पास अपनी कोई सेना नहीं थी, इसका मुख्यालय जेनेवा तथा सभी कार्यालय भी जेनेवा में था।

★ जिस देश को उसका सदस्य बनना था उसे अपनी संसद से पहले अनुमति लेनी होती थी।

★ इसका संस्थापक अमेरिका खुद अपनी संसद से इसकी अनुमति नहीं ले सका।

★ इस संगठन ने जापान द्वारा चीन पर आक्रमण नहीं रोक सका।

★ League ने उस समय कुछ नहीं किया जब जर्मनी ने पॉलेण्ड पर आक्रमण किया। इसी घटना के कारण द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया। और League of Nation अस्तित्व समाप्त हो गया।

United Nation Organisation (UNO) संयुक्त राष्ट्रसंघ :-

★ League of Nation की असफलता के बाद UNO की संस्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य तृतीय विश्वयुद्ध को रोकना तथा सभी देशों में आपसी समन्वय स्थापित करना था।

★ UNO के पास अपने सदस्य देशों के सहयोग से अपनी सेना उपस्थित है, जो उसे शक्ति प्रदान करती है।

★ 24 Oct 1945 को इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई।

★ इसका स्थापना का मुख्य श्रेय रूस बेल्ट (USA), चर्चील (ब्रिटेन), स्वालिन (रूस) को जाता है।

★ UNO के छ: अंग हैं-

1. **न्यास (Trust)** :- यह UNO के लिए सदस्य देशों के सहयोग से धन उपलब्ध कराता है।

2. **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice (ICJ))**

★ यह निदरलैंड के शहर हेग में है। इसमें 15 जज होते हैं। एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। भारतीय जज दलबीर भंडारी इसमें कार्यरत हैं।

★ नरेन्द्र सिंह दत्त पहले ऐसे भारतीय जज थे जो इस न्यायालय में पहुँचे थे।

3. **सचिवालय** :- UNO के सभी कार्य सचिवालय के अधीन आते हैं। महासचिव इस सचिवालय पर निगरानी रखता है।

★ पुर्तगाल के एन्टोनियो गुटेरस वर्तमान महासचिव हैं।

★ नार्वे के त्रिम्वेली इसके पहले महासचिव थे।

★ घाना के कॉफी अन्नान तथा दक्षिणी कोरिया के वान-की-मून दो बार महासचिव रहे।

★ महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

4. **महासभा (Generat Assembely)** :-

★ यह UNO का सबसे बड़ा भाग है, UNO के सभी सदस्य देश महासभा का सदस्य है। इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है।

★ वर्तमान में इसमें 193 देश है। दक्षिणी सुडान इसका नवीनत्तम सदस्य है, जो 2011 में जुड़ा।

★ महासभा अध्यक्ष के अधीन रहता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।

★ विजय लक्ष्मी पंडित अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी।

★ किसी नये देश को UNO के अंग बनाने के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद से अनुमति लेनी होती है।

5. **सामाजिक एवं आर्थिक परिषद** :-

★ यह पुरे विश्व में कल्याणकारी कार्य को करता है, इसके कई अंग हैं-

A. Internation Labour Organisation (ILO) 1919 जेनेव

B. Food & Agriculture Organisation (FAO), 1945 रोम

Scanned with CamScanner

C. WHO : World Health Organisation : 1943, जेनेवा

D. UNESCO (United Nation Education Social & Caltural), 1945-46, पेरिस

★ यह विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार देता है।

6. **सुरक्षा परिषद** :- इसका दायित्व पुरे विश्व में शांति स्थापित करना है, इसे दुनिया का पुलिस Man कहते हैं। इसमें 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी सदस्य है अर्थात् इसमें कुल 15 सदस्य है।

★ अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होता है।

★ स्थायी सदस्य आजीवन रहते है, इन्हें एक विशेष शक्ति प्राप्त है। जिसे veto कहते हैं। इस veto के माध्यम से वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। अर्थात् किसी भी प्रस्ताव का पारित कराने के लिए पाँचों सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है।

★ ये पाँच देश निम्नलिखित हैं-

(1) अमेरिका (2) ब्रिटेन (3) फ्रांस (4) रुस (5) चीन

★ भारत को veto न मिलने के कारण-

(1) भारत का UNO में दिया जाने वाला बजट बहुत ही कम है।

(2) कश्मीर मुद्दा अभी भी भारत-पाकिस्तान के बीच विवादित है।

(3) भारत CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया है और परमाणु बम रखे हैं।

(4) सभी वीटो सदस्य भारत के पक्ष में नहीं है।

★ भारत को veto मिलने के कारण :-

(1) भारत का बजट भले ही कम है, किंतु भारत UNP को बड़ी सं॰ में दवाईयाँ तथा सेना उपलब्ध कराता है।

(2) UNO के डिक्सन आयोग का कब्जा है, कि कश्मीर एक क्षेत्रीय मुद्दा है न कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा अत: UNO को क्षेत्रीय मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(3) भारत भले CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया है, और परमाणु बम रखे हुए है, किंतु न भारत की नीति है कि वह पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा। अत: भरत अपना परमाणु बम सुरक्षा के उद्देश्य से रखा है।

(4) भारत UNO का संस्थापक सदस्य है, क्योंकि भारत 1945 में ही UNO का सदस्य बन गया।

(5) भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

(6) भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं है।

Note :– भारत के स्थायी सदस्यता में सबसे बड़ी बाधा China है।

UNO की भाषा (Language of UNO) :-

★ UNO में मान्यता प्राप्त 6 भाषाएँ हैं-

(1) English (2) फ्रेंच (3) अरबी (4) स्पेनिश (5) Russian (6) Chenese

G.4 :– यह चार देशों का एक संगठन है, जो संयुक्त रूप से स्थायी सदस्यता (Veto) का मांग करते हैं।

★ इसकी स्थापना 2005 में हुई।

(1) ब्राजील (2) Germany (3) भारत (4) जापान

★ जर्मनी का विरोधी रूस है। जापान का कट्टर विरोधी चीन है। चीन भारत का भी विरोधी है।

★ ब्राजील का विरोध करने वाला इस Group में कोई नहीं है।

★ दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील आता है, इस महाद्वीप से ब्राजील आता है और इस महाद्वीप में कोई किसी के पास veto नहीं है।

G.7 :– इसकी स्थपना 1975 में हुई। यह 7 विकसित देशों का एक संघटन है- (1) कनाडा (2) USA (3) UK (4) फ्रांस (5) Germany (6) Etley (7) Japan

★ पहले इसमें रूस भी आता था, तब इसका नाम G-8 था।

CS Scanned with CamScanner

G.20 :– इसकी स्थापना 1999 में हुई। यहाँ 20 देशों के केन्द्रीय बैंक के गवर्नर का बैठक होता है।

NPT (Nuclear-Non Proper\lration Treaty) (1968) :–

- ★ इस सँधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि 1974 से पहले परमाणु बम जिन देशों के पास या वे ही परमाणु बम रख सकते हैं, बाकि के देश नहीं रख सकते।
- ★ NPT के अनुसार अमेरिका, UK, France, Russia, China यही परमाणु संपन्न देश है। भारत ने इस सँधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

NSG (Nuclear Supplies Group) (1974) :–

- ★ यह 48 देशों का एक संगठन है, जिसके पास Urenium का प्रचुर भंडार है। यह शांतिपुर्ण कार्य (बिजली उत्पादन) के लिए Urenium उपलब्ध कराता है।
- ★ यह उन्हें यूरेनियम देता है, जो NPT पर हस्ताक्षर किये हैं।
- ★ भारत इसका सदस्य बनना चाहता है, ताके ये Urenium ले सके किंतु चीन भारत का बिरोध करता है।
- ★ जब तक NSG के 48 सदस्य सर्वसहमति से किसी सदस्य को मान्यता नहीं देते हैं, तब तक उसे NSG का सदस्य नहीं बनाया जाता है।

CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty) (1996) :–

- ★ यह सँधि जल, थल तथा वायु में नाभिकीय परिक्षण पर रोक लगाता है। भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है।
- ★ भारत भूमिगत (Under Ground) परमाणु परिक्षण किया है।

Note :– 18 may 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परिक्षण किया जिसका कोड नाम इसमाइलिंग बुद्धा (Smiling Budha) था। यह परिक्षण पुर्णत: सफल नहीं था।

- ★ 11 तथा 13 may 1998 को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परिक्षण किया। इसका कोड नाम शक्ति 98 था यह पूर्णत: सफल था।
- ★ भारत ने अपना परमाणु बम का परिक्षण राजस्थान के पोखरण में किया।

वासेजार (Arrangement) :-

- ★ इसकी स्थापना 1996 में हुई। यह परमाणु हत्यारों के उत्पादन तथा प्रसारण पर नियंत्रण रखता है।

MTRC (Missile Technology Control Resgins) (1997) :–

- ★ यह मिसाइलों के व्यापार पर नियंत्रण रखता है। भारत इसका नवीनतम (45वाँ) सदस्य बन गया है। इसके सदस्य देश ही 300km मार्क क्षमता वाली मिसाइल की खरीद बिक्री कर सकते हैं।
- ★ China इसका सदस्य देश नहीं है, जिस कारण वह लंबी दूरी की मिसाइलों की खरीद-बिक्री नहीं कर सकते हैं।
- ★ China यदि MTCR का सदस्य बनना चाहे तो उसे भी 35 देशों के सर्वसहमति से प्रवेश करना होगा। जिसमें भारत उसका विरोध कर देगा।

NATO (North Atlantic treaty Organisation) (1999) :–

- ★ यह एक सैनिक संगठन है, जिसमें 29 देश आते हैं। इसका मुख्यालय ब्रेसेल्स में है। कोई भी देश यदि इनपर हमला करता है, तो ये 29 से उनपर आक्रमण करता है। भारत, रूस, चीन इसके सदस्य नहीं हैं।

EU (Europian Unioon) (1993) :–

- ★ यह यूरोप के 28 देशों का एक संगठन है। इन 28 देशों की एक Common विदेशी तथा आर्थिक नीति है। इन 28 में से 19 देशों की एक ही मुद्रा है, जिसे 'यूरो' करेन्सी कहते हैं।

ASEAN (Asseciation of South east Assian Nation) (1967) :–

- ★ यह 10 देशों का एक संगठन है, जिसका मुख्यालय जकार्ता है। यह एक आर्थिक संगठन है।

SAARC (South Asian Asscciation for Reginal Corpration) (1985) :–

CS Scanned with CamScanner

★ यह आठ देशों का एक संगठन है, जिसका मुख्यालय काठमाण्डु है। यह एक आर्थिक संगठन है।

IBSA :–

★ इसकी स्थापना 2003 में हुई इसमें तीन देश आते हैं, India, ब्राजील, South Africa (आर्थिक संगठन)

BRICS :–

★ इसकी स्थापना 2009 में हुई यह पाँच देशों का एक आर्थिक सम्मेलन है।

★ BRICS देशों ने अपना बैंक बनाया है, जिसे New Development Bank (NDB) कहते हैं।

★ NDB की स्थापना 2014 में संघई में की गई।

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) :–

★ इसकी स्थापना 2016 में बीजींग में की गई।

Asian Development Bank (ADB) :–

★ इसकी स्थपना 1966 में मणिला में की गई।

World Bank (WB) विश्व बैंक :–

★ इसकी स्थपना 1995 में वासिंगटन में की गई।

Citizenship Amendment bill (CAB) :–

★ इसके अनुसार बंग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने आने वाले हिंदु सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई सरपार्थियों को भारत में नागरिकता दी जा सकती है। किंतु इन देश से मुस्लिम सर्णनार्थियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी।

★ यह विधेयक अनु॰ 14 का आंशिक उल्लंघन है। इस विधेयक में नेपाल से आनेवाले मधेसिया तथा श्रीलंका से आनेवाले तमिल की कोई चर्चा नहीं है।

★ भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अलग से एक Register बनेगा जिसे National Register for Citizenship (NRC) कहते हैं।

★ भारत में पंजीकरण के लिए 7 वर्ष तथा देशीकरण के लिए 12 वर्ष की अवधि है।

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)

Scanned with CamScanner